माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ । माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप अवगत हैं विश्व की अर्थव्यवस्था में विगत वर्षों की कमजोरी के बावजूद 2013 की दूसरी छमाही से विकास हो रहा है; वित्तीय वर्ष 2014-15 में और अधिक सुधार की संभावना है। वर्ष 2013 के 3 प्रतिशत की तुलना में 2014 में वैश्विक विकास दर लगभग 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो सकता है ।

प्रति व्यक्ति कम आय के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा भारत विश्व में 19वां बड़ा निर्यातक है । क्रय शक्ति समानता (Purchasing Power Parity) के आधार पर विश्व में इसका तीसरा स्थान है । अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2012 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत विश्व में 141वें स्थान पर तथा क्रय शक्ति समानता में 130वें स्थान पर था ।

इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कृषि और संबंधित क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण चालू वित्तीय वर्ष (2013-14) में सुधरकर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है । 2013-14 की पहले छमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत ही रही । इसके पिछले वर्ष (2012-13) में यह 4.5 प्रतिशत रही । केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2013-14 के दौरान 4.6 प्रतिशत की एक प्रशंसनीय वृद्धि रही जबकि 2012-13 में इस क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत की ही वृद्धि थी । सेवा क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष (2013-14) में 11.2 प्रतिशत वृद्धि अनुमान है, जो पिछले वर्ष की वृद्धि दर 10.9 प्रतिशत की तुलना में अधिक है ।

वर्ष 2012-13 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.5 प्रतिशत थी जो 2011-12 के 6.2 प्रतिशत की तुलना में धीमी रही । भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2004-05 से 2013-14 तक औसतन 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा । 2013-14 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो गत वर्ष के 4.5 प्रतिशत दर से थोड़ा अधिक है ।

बिहार का आर्थिक सिंहावलोकन

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था का 2006-13 के दौरान निरंतर विकास हुआ है । वर्ष 1999-2006 के दौरान स्थिर मूल्य पर अर्थव्यवस्था का विकास 5.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से हुआ था । यह राज्य के विभाजन के तत्काल बाद की अवधि थी । राज्य सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप 2006-13 के दौरान अर्थव्यवस्था 12.0 प्रतिशत की बहुत ऊंची वार्षिक दर से बढ़ी। इसीलिए हाल की विकास प्रक्रिया को 'गतिरूद्ध व्यवस्था का पुनर्जागरण' कहा जा सकता है। इस अवधि में निवेश के स्तर में भी काफी वृद्धि हुई ।

जैसा कि ऊपर वर्णित है, 2006-13 की अवधि में राज्य की अर्थव्यवस्था 12.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। इस अवधि में विकास में योगदान करने वाले प्रमुख क्षेत्र जिनकी विकास दर 15 प्रतिशत से अधिक रही, निम्नांकित हैं- निबंधित विनिर्माण (18.2 प्रतिशत), निर्माण (21.9 प्रतिशत), संचार (38.4 प्रतिशत), व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेन्ट (15.1 प्रतिशत) तथा बैंकिंग एवं बीमा (23.5 प्रतिशत)। बढ़ते विकास दर के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर जहां 2011-12 में 25,074 रू. थी, वह वर्ष 2012-13 में बढ़कर 30,930 रू. हो गयी । अब देश की प्रतिव्यक्ति आय की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के 37.2 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 41.2 प्रतिशत हो गयी ।

राजस्व अधिशेष 2010-11 में 2009-10 की तुलना में दोगुना से अधिक बढ़कर 6,316 करोड़ रू. के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया । चूंकि 2011-12 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में धीमापन के आरम्भ का वर्ष था, इसलिए अधिशेष पुनः गिरकर 4,820 करोड़ रू. रह गया जिसके कारण राजकोषीय घाटा लगभग 2,000 करोड़ रू. बढ़ गया । वर्ष 2012-13 में राजस्व अधिशेष 5,100 करोड़ रू. हो गया ।

राज्य का सकल राजकोषीय घाटा 2012-13 में मात्र 6,545 करोड़ रू. था, लेकिन उच्च पूंजी निवेश के कारण 2013-14 में 8,769 करोड़ रू. पहुँच जाना अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.12 प्रतिशत रहा है, और वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रावधानित राशि में प्रत्यर्पण होने के उपरांत राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत के अंतर्गत ही रहेगा ।

वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो कर प्राप्तियों में 19 प्रतिशत वृद्धि के कारण थी । राज्य सरकार का कर राजस्व काफी बढ़ा है जो 2008-09 के 23,865 करोड़ रू. से 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2012-13 में 48,153 करोड़ रू. हो गया । उस अवधि में राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 27 प्रतिशत की ऊंची वार्षिक दर से बढ़कर 6,172 करोड़ रू. से 16,253 करोड़ रू. हो गया । गैर कर राजस्व भी वर्ष 2011-12 के 890 करोड़ रू. से बढ़कर 2012-13 में 1,135 करोड़ रू. हो गया ।

वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार का कुल विकासमूलक व्यय 45,402 करोड़ रू. था जो कुल व्यय का 65.6 प्रतिशत था । वर्ष 2013-14 में विकासमूलक व्यय बढ़कर 61,982 करोड़ रू. होने का अनुमान है जो कुल व्यय का 67.3 प्रतिशत है । जहां तक बकाया ऋण का प्रश्न है, 2012-13 में यह 57,474 करोड़ रू. था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 18.6 प्रतिशत है ।

यह बारहवें वित्त आयोग द्वारा 28 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से काफी नीचे है। वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में बकाया ऋण 66,055 करोड़ रू. है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 17.6 प्रतिशत मात्र है ।

अगले वर्ष 2014-15 का बजट प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व 2012-13 एवं 2013-14 के बजट के बारे में भी कुछ कहना समीचीन होगा । विगत दोनों वर्षों में कुछ छोटे-मोटे अंतरों को छोड़कर प्राप्ति या व्यय संरचना में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं हुआ है । व्यय का ढांचा दोनों वर्षों में लगभग एक जैसा ही रहा । 2013-14 के बजट अनुमान में जहां सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 1 प्रतिशत बढ़ा वहीं संचित निधि से होने वाले कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2 प्रतिशत बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं के हिस्से में गत वर्ष से 1 प्रतिशत की कमी आई, जबकि पूंजीगत परिव्यय 14 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया। लोक ऋण के हिस्से में 1 प्रतिशत की कमी आई तथा ऋण और अग्रिम 2012-13 के 3 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में मात्र 1 प्रतिशत रह गया ।

हमारा लक्ष्य समावेशी और स्थायी विकास के साथ उच्च वृद्धि दर को हासिल करना है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 का कुल बजट 1,16,886.16 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। योजना मद में 57,655.12 करोड़ रूपये जिसमें राज्य योजना मद में 57,392.44 करोड़ रूपये एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में 262.68 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 59,231.04 करोड़ रूपये व्यय होना है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना मद में 39006.30 करोड़ रूपये प्रस्तावित था जिसमें राज्य योजना मद में 34,000 करोड़ रूपये और केन्द्र प्रायोजित योजना में 4715.43 करोड़ रूपये एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में 290.87 करोड़ रूपये व्यय होने हैं। राज्य योजना के आकार में अप्रत्याशित वृद्धि का निम्नांकित कारण है । कुछ अन्य राज्यों

के साथ बिहार सरकार ने भी लगातार केन्द्र सरकार द्वारा बजटीय प्रक्रिया की उपेक्षा कर क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे राशि हस्तांतरण करने की प्रक्रिया का विरोध किया था। हमें सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014-15 से वैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की राशि जो अब तक सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों को भेजी जाती थी वह अब राज्य के बजट के माध्यम से प्राप्त और व्यय होगी । वर्ष 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की केन्द्रांश राशि राज्य योजना की केन्द्रीय सहायता के रूप में मानी जायेगी। पुराने तरीके से गणना की जाय तो राज्य योजना का आकार 40100 करोड़ रूपये का होगा जो गत वर्ष से 17.94 प्रतिशत अधिक है ।

अब मैं वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागवार आवंटन के लिए प्रस्तावित राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करता हूँ :-

शिक्षा विभाग

राज्य में मानव विकास के सुधार के लिए मानव विकास मिशन गठित है। इसके तहत वर्ष 2013-17 के लिए एक योजना तैयार की गयी है। मानव विकास पर विशेष जोर दिये बिना विकास प्रक्रिया को समावेशी दिशा देना संभव नहीं है । मानव विकास मिशन के तहत राज्य सरकार ने 6 घटक निर्धारित किये हैं- 1. जन सांख्यिकी, स्वास्थ्य एवं पोषण, 2. प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता, 3. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता, 4. सूचना प्रावैद्यिकी, 5. कमजोर एवं गरीब तबकों की सुरक्षा तथा 6. कला, संस्कृति एवं खेलकूद । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव विकास मिशन की निर्धारित योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1.68 लाख शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है। इसके अंतर्गत लगभग 41,000 अभ्यर्थियों ने शिक्षक पद पर योगदान किया है ।
राज्य के सभी प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा से संबंधित रिकार्ड एक प्रणाली से कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को TEMIS (Teacher Management

Information System) के नाम से जाना जाता है। अगले माह उसे वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक कुल 21,419 नए प्राथमिक विद्यालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 20,820 (97%) प्राथमिक विद्यालय 2012-13 तक खोले जा चुके हैं। 45 नये प्राथमिक विद्यालय वित्तीय वर्ष 2013-14 में खोले गये है एवं शेष 599 विद्यालयों को इस वर्ष के अंत तक खोल दिया जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के कुल 19,725 लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 19,517 (99%) प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। 117 प्राथमिक विद्यालयों का उत्क्रमण वित्तीय वर्ष 2013-14 में हुआ है एवं शेष 208 विद्यालयों को इस वर्ष उत्क्रमित किया जाएगा।

6-14 आयुवर्ग के विद्यालय से बाहर के बच्चो को विद्यालय लाने में राज्य ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है एवं वर्तमान में मात्र 2-3 प्रतिशत (2,71,096) बच्चे ही विद्यालय से बाहर रह गये है।

शैक्षिक सत्र 2013-14 के तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से 8 के लगभग 1,96,44,647 (एक करोड़ छियान्वे लाख चौवालीस हजार छः सौ सैंतालीस) (95%) बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा चुका है।

राज्य के लिए स्वीकृत कुल 535 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में से 529 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित है, जिसमें समाज के कमजोर वर्ग की छीजनग्रस्त बालिकाएँ आवासीय सुविधा के साथ समीपवर्ती मध्य विद्यालयों में कक्षा 6-8 तक की शिक्षा प्राप्त कर रही है। इन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कुल 47,311 बालिकायें नामांकित है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये भारत सरकार के Programme Approval Board (PAB) द्वारा प्रतिदिन 1 करोड़ 29 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम दो त्रैमास में औसत प्रतिदिन 1 करोड़ 26 लाख 36 हजार 6 सौ 21 बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराकर Programme Approval Board (PAB) के 98 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया गया।

पूर्व में स्वीकृत किचेन शेड में से 45142 किचेन शेड तैयार किया जा चुका है। 7471 विद्यालयों में किचेन शेड निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा शेष विद्यालयों में भी किचेन शेड निर्माण हेतु भूमि को चिन्ह्ति किया जा रहा है।

4500 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में से वित्तीय वर्ष 2013-14 में 1000 माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किया जाना है। अबतक 868 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है एवं इन विद्यालयों में आगामी सत्र से वर्ग 9वीं का अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2013-14 से राज्य योजना मद से राज्य के अंगीभूत/सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों/राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों में नवम् से बारहवीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे कुल 17,15,018 छात्राओं को प्रति छात्रा 1000/- रूपये (एक हजार) की दर से मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत कुल 1,71,50,18,000/- (एक अरब इकहत्तर करोड़ पचास लाख अठारह हजार) रुपये सभी जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं। इसका वितरण जिलों में लोक भागीदारी के द्वारा 16 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कैंप लगाकर किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/ अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं

कक्षा में नामांकित 7,48,607 छात्र एवं 7,03,875 छात्राओं को मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/छात्रा 2500/-रुपये की दर से साईकिल क्रय हेतु कुल 3,63,12,05,000/- (तीन अरब तिरसठ करोड़ बारह लाख पाँच हजार) रुपये सभी जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं, जिसका वितरण जिलों में लोक भागीदारी के द्वारा 16 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कैंप लगाकर किया गया।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत सामान्य कोटि के छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक प्री-मैट्रिक छात्रवृति अंतर्गत कुल 19500.00 लाख (एक अरब पंचानवे करोड़) रुपये सभी जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं। जिसका वितरण जिलों में लोकभागीदारी के द्वारा 16 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कैंप लगाकर किया गया।

राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के निमित्त पूर्वी चम्पारण में भूमि अधिग्रहण हेतु 175 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के भवन निर्माण हेतु कुल 37.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु ''बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013'' प्रख्यापित हो चुका है। साथ ही ''बिहार निजी विश्वविद्यालय नियमावली, 2013'' अधिसूचित हो चुकी है। इस संदर्भ में प्रायोजक निकायों से नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है।

राज्य में 09 अनुमंडलों में अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।

राज्य में 15 सामुदायिक महाविद्यालयों की स्वीकृति दी गई है जिसमें विभिन्न व्यवसायिक/रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों का नामांकन भी हो चुका है।

राज्य में संचालित अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से मान्यता हेतु 75 अंगीभूत महाविद्यालयों के विकास के लिए कुल 47.54 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक तीन महाविद्यालयों को National Assessment and Accreditation Council से मान्यता प्राप्त हुई है।

राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है।

राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति/प्रतिकुलपति के पद पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति सर्च कमिटी के माध्यम से करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है।

महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना अंतर्गत महादलित एवं अतिपिछड़ा वर्ग हेतु 20000 केन्द्र एवं अल्पसंख्यक हेतु 10000 केन्द्र खोले गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवियों का मानदेय जो पूर्व में 3500 रु0 प्रतिमाह निर्धारित था उसे माह दिसम्बर, 2013 से 5000 रु0 प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री झुग्गी-झोपड़ी अक्षर आंचल योजना 2 अक्टूबर, 2013 से प्रारंभ की गयी जिसमें अभी तक 773 केन्द्र खोले गये हैं।

साक्षर भारत कार्यक्रम योजना अंतर्गत 2013-14 में सभी पंचायतों के मध्य विद्यालय में कुल- 98779 लोक शिक्षा केन्द्र एवं साक्षरता केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

वर्ष 2013-14 में 18,90,645 निरक्षरों को साक्षर करने के लक्ष्य के विरूद्ध अगस्त, 2013 तक 6,45,475 निरक्षरों को साक्षर किया गया है एवं शेष 1245170 निरक्षरों को मार्च, 14 तक साक्षर करना है। इस निमित्त 878141 शिशिक्षु नामांकित हो चुके हैं।

<u>2014-15 का भावी कार्यक्रम</u>

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए द्वितीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का अयोजन किया जायेगा।

प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त शिक्षकों एवं अनुदेशकों का नियोजन किया जायेगा।

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के बेहतर प्रबंधन हेतु आवश्यकतानुसार नई विद्यालय शिक्षा समितियों का गठन किया जायेगा एवं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रारंभिक विद्यालयों की ‘‘भू-सम्पदा’’ का डाटाबेस तैयार कराया जायेगा।

शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 के मद्देनजर राज्य में सम्पन्न Habitation Mapping के अनुसार अनाच्छादित 1896 बसावटों के लिए प्राथमिक विद्यालय स्थापना की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर स्थापित करना ।

छात्र वर्ग कक्ष अनुपात को बेहतर करने के उद्देश्य से आवश्यक अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु आवश्यक पहल।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गयी है जिसमें सरकारी विद्यालयों की कक्षा-7 से कक्षा-12 की छात्राओं को सेनिटरी (Sanitary)

नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना से तीस लाख तेरह हजार बालिकाएं लाभान्वित होंगी और इसपर वार्षिक लागत 32.76 करोड़ रूपये होगी।

1,000 नये उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित और संचालित किये जायेंगे।

60 सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में उत्कृष्टता के साथ प्रशिक्षण।

उच्च माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में और वृद्धि।

महादलित, अतिपिछड़ा, अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक आंकड़ों में सुधार।

10,000 किचेन शेड, 5,000 नये प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण।

प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय योजना के तहत 824 विद्यालय भवनों का निर्माण।

सभी जिले में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण, स्वीकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मॉडल स्कूल एवं बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण।

राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 5 (पाँच) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य है ।

राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान के तहत चयनित 25 जिलों के एक-एक अंगीभूत महाविद्यालयों को मॉडल डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है ।

राज्य में संचालित अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों को अधिकाधिक संख्या में NAAC से मान्यता प्राप्त कराने का लक्ष्य है।

सामुदायिक महाविद्यालयों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 करने का लक्ष्य है ।

राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद् का गठन किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोग के प्रावधानों के आलोक में वर्तमान विश्वविद्यालय अधिनियमों के स्थान पर एक नया विश्वविद्यालय अधिनियम तैयार करने की योजना है ।

राज्य के विश्वविद्यालयों मे शिक्षकों के रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का लक्ष्य है ।

शिक्षा विभाग को वर्ष 2014-15 में 24715.19 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 12257.61 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 12457.58 करोड़ रूपये शामिल है ।

ग्रामीण विकास विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यक्रम

मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पंचायत कार्यकारिणी के माध्यम से भुगतान का अनुमोदन आदि की संस्थागत व्यवस्था की गयी है ।

यह प्रसन्नता का विषय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा दल को निम्नांकित दो पुरस्कार दिनांक- 02 फरवरी 2014 को प्रदान किये गये हैं- 1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत *''पारदर्शिता एवं जबावदेही में नई पहल''* के लिए किये गये उल्लेखनीय कार्यों के निमित्त, 2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत *''अभिसरण के माध्यम से शतत् आजीविका के लिए किये गये नई पहल''* के लिए उल्लेखनीय कार्यों के निमित्त।

सरकार का यह प्रयास है कि मनरेगा के अंतर्गत रोजगार के समुचित अवसरों के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्ति सृजित हो, जिससे परिवारों की आय में चिरस्थायी वृद्धि हो सके ।

राज्य में स्वच्छता अधिष्ठापन को बढ़ावा देने के लिए वैयक्तिक शौचालय निर्माण का व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया है । इसके अच्छे परिणाम आये हैं । महादलित वर्ग के लाभान्वितों द्वारा समय पर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण पूर्ण हो, इसके लिए मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना लागू की गई है । आगामी वर्ष में सरकार पुराने अधूरे घरों को

पूरा कराने के लिए विशेष प्रयास करेगी । यह प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी पात्र परिवारों को आच्छादित किया जाए । वर्ष 2014-15 में समाहरण के माध्यम से इंदिरा आवास के लाभान्वितों को पक्के घर के अलावा शौचालय, विद्युत कनेक्शन, मनरेगा के अंतर्गत परिसंपत्ति, स्वरोजगार कार्यक्रमों से जोड़ना, कौशल विकास आदि के माध्यम से आच्छादित करके सर्वांगीण विकास कराया जाएगा ।

महिला सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयोग के सुखद परिणाम आए हैं । अगले वर्ष राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम का व्यापक फैलाव किया जाएगा और 2 लाख से अधिक नए समूह गठित किए जाएंगे । गरीबों को आय के समुचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए उनके कौशल विकास का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा ।

Interest subvention & Additional interest subvention योजना के अंतर्गत राज्य के 38 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम तीन लाख रूपये तक की ऋण राशि उपलब्ध करायी जाएगी । समय पर कर्ज वापसी करने पर उक्त सीमा तक की कर्ज राशि पर 3 प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त छूट दी जाएगी । यह छूट गैर IAP जिलों में राज्य सरकार वहन करेगी ।

महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की कृषि में भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनकी आय में वृद्धि करना है । जीविका द्वारा बिहार के 9 जिलों के 15 प्रखंडों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है । वर्तमान में स्वयं सहायता समूहों की 61824 दीदीयाँ इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं ।

ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त Professionals की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य में उच्च कोटि के ग्रामीण प्रबंधन एवं शोध संस्थान Development Management Institute (DMI) की स्थापना की गई है ।

वर्ष 2014-15 में 100 प्रखंड कार्यालयों के भवनों का निर्माण प्रस्तावित है ।

ग्रामीण विकास विभाग को वर्ष 2014-15 में 6755.84 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 6399.12 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 356.72 करोड़ रूपये शामिल है ।

स्वास्थ्य विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्य के 534 प्रखण्डों में न्यूनतम एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चौबीसो घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालन किया जायेगा ।

राज्य के प्रत्येक जिले के दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की सेवा प्रारम्भ की जायेगी ।

सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में लोक निजी भागीदारी से एम0आर0आई0/सी0टी0 स्कैन मशीन स्थापित किये जाएंगे ।

राज्य के सभी 36 जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन की सेवा प्रारम्भ की जायेगी ।

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं 36 जिला अस्पतालों में लोक निजी भागीदारी के तहत् डायलेसिस की सुविधा प्रारम्भ की जायेगी ।

नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय प्रांगण में जननी एवं शिशु के लिए 100 शैय्या वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना की जायेगी ।

साथ ही अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में जननी एवं शिशु की बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए 100 शय्या यूनिट की स्थापना की जायेगी ।

चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रोगियों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से सामान्य चिकित्सा सेवा के लिए आधुनिक अस्पतालों का निर्माण यथा;

(क) अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर को 100 शय्या वाले अस्पताल में उत्क्रमण।

(ख) फुलवारीशरीफ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शय्या वाले अस्पताल में उत्क्रमण।

(ग) गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी को 300 शय्या वाले अस्पताल में उत्क्रमण।

(घ) दरभंगा में 100 शय्या वाले जिला अस्पताल की स्थापना।

सभी जिला अस्पताल में प्रथम चरण में ह्रदय रोग के ओ0पी0डी0 एवं द्वितीय चरण में उच्चतर स्तर की सुविधा यथा Ecocardiography आदि की सुविधा दी जायेगी।

सभी जिला अस्पतालों में 4 शय्या वाले गहन चिकित्सा यूनिट की स्थापना की जायेगी।

सभी जिला अस्पतालों में नेत्र, चर्म एवं दंत रोग से संबंधित रोगियों की चिकित्सा के लिए बेहतर सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक-एक मोडुलर ओ0टी0 की स्थापना की जायेगी।

राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का मास्टर प्लान के तहत् उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

नर्सिंग प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में 10 General Nursing Midwifery (GNM) ,10 Auxiliary Nursing Midwifery (ANM) स्कूलों की स्थापना की जायेगी।

राज्य के सभी जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक दी जा रही ओ0पी0डी0 की सेवा, औषधि का वितरण तथा रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की अनुशंसा को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा ।

राज्य में एक आई- बैंक की स्थापना की जायेगी।

राज्य के एक अस्पताल में आधुनिक किडनी प्रत्यारोपण इकाई की स्थापना की जायेगी।

इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में State Cancer Institute एवं जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर तथा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कैंसर की चिकित्सा हेतु Tertiary Care Cancer Center की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2014-15 में 4805.73 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 2411.78 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 2393.95 करोड़ रूपये शामिल है ।

कृषि विभाग

राज्य सरकार ने वर्ष 2012-17 के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया है जिसका 6 सूत्री ध्येय है- 1. खाद्य सुरक्षा, 2. पोषण सुरक्षा, 3. किसानों की आय में वृद्धि, 4. रोजगार सृजन एवं श्रमिकों के पलायन पर नियंत्रण, 5. कृषि विकास का समावेशी मानवीय आधार और महिलाओं की सघन भागीदारी तथा 6. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं उनका टिकाऊ उपयोग । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि रोड मैप की निर्धारित योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह प्रसन्नता का विषय है कि दिनांक- 10 फरवरी 2014 को नई दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा *''कृषि कर्मण पुरस्कार''* बिहार राज्य को देश में गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान के लिए प्रदान किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कृषि विभाग के कार्यक्रम :-

कृषि रोड मैप कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जायेगा ।

कृषि शिक्षा एवं शोध की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए किशनगंज में एक नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है ।

कृषि रोड मैप के अधीन खाद्यान्न फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए श्री विधि से धान तथा गेहूँ की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। यह तकनीक लघु तथा सीमांत किसानों के लिए अत्याधिक उपयोगी है। वर्ष 2014-15 में 1.8 लाख हेक्टेयर में श्री विधि से धान की खेती, 1.4 लाख हेक्टेयर में श्री विधि से गेहूँ की खेती तथा 1 लाख हेक्टेयर में जीरो टिलेज विधि से गेहूँ की खेती का प्रत्यक्षण किया जायेगा।

मक्का, दलहन तथा तेलहन के उत्पादन तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए किसानों को गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। वैज्ञानिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्यक्षण लगाये जायेंगे। धान 348000 क्वीं०, अधिक उपजशील धान प्रभेद तथा 792000 क्वीं०, अधिक उपजशील गेहूँ प्रभेद की बीज पर अनुदान दिया जायेगा।

राज्य में गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन तथा उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। बिहार राज्य बीज निगम के बीज भंडारण तथा प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जायेगा। इस निमित्त बीज ग्राम की स्थापना की जायेगी तथा बीज ग्राम में उत्पादित बीज का प्रमाणीकरण कराया जायेगा। बिहार राज्य बीज प्रमाणन

एजेंसी को बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन कार्यक्रम की तकनीकी देखरेख के लिए सक्षम बनाया जायेगा।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 81 हजार से अधिक वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना की गई है । किसानों को वर्मी कम्पोस्ट एवं जैव उर्वरक के उत्पादन तथा उपयोग के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी। हरी खाद की खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। वर्ष 2014-15 में 1.10 लाख पक्का वर्मी कम्पोस्ट तथा 70000 एच.डी.पी.ई. तथा 250 व्यवसायिक इकाईयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ।

आधुनिक कृषि यंत्र के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। इन यंत्रों को अपनाने के लिए किसानों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जायेगी। यांत्रिकीकरण के तहत 17000 ट्रैक्टर, 11000 पावर टिलर, 6000 जीरो टिलेज, 140 कम्बाईन, 50000 पम्पसेट, 60000 स्प्रेयर एवं डस्टर, 5000 हैप्पी सीडर, 70000 कोनोवीडर, 30000 सिंचाई पाइप, 20000 ट्यूबवेल, 8000 थ्रेसर, 3000 सीड ट्रिटमेंट ड्रम कृषि यंत्र का अनुदान पर वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

वैज्ञानिक खेती के प्रचार-प्रसार के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

बागवानी विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इसके तहत नये बाग की स्थापना तथा पुराने बागों के जीर्णोद्धार के लिए किसानों को सहायता दी जायेगी । मधुमक्खीपालन, मशरूम उत्पादन तथा जैविक सब्जी की खेती पर बल दिया जायेगा। 4 आधुनिक नर्सरी (2-4 हेक्टेयर), 10 छोटा नर्सरी (1 हेक्टेयर) तथा 12 इन्टीग्रेटेड मशरूम इकाई का निर्माण किया जायेगा। 135000 वर्ग मी० में ग्रीन हाउस ट्यूबलर की संरचना की जायेगी । 3000 हेक्टेयर में जैविक फल उत्पादन, 12000 हेक्टेयर में जैविक सब्जी उत्पादन तथा 4000 हेक्टेयर में जैविक प्रमाणीकरण किया जायेगा ।

दक्षिण बिहार के उप-पठारी जिलों में जलछाजन विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जायेगा। इन जिलों में मिट्टी तथा जल संरक्षण के लिए चेक-डेम आदि का निर्माण किया जायेगा। 750 Earthen check dam, तथा 352 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जोयगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवसृजित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय तथा नवसृजित सहरसा, पूर्णियाँ, डुमराँव तथा किशनगंज कृषि महाविद्यालयों एवं उद्यान महाविद्यालय, नालंदा की आधारभूत संरचना विकसित की जायेगी ।

कृषि विभाग को वर्ष 2014-15 में 2826.80 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 2348.84 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 477.96 करोड़ रूपये शामिल है ।

ऊर्जा विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्य में बिजली की उपलब्धता नवम्बर, 2012 में 1250 मेगावाट से बढ़ाकर नवम्बर, 2013 में 2300 मेगावाट तक ले जायी गयी। इस क्रम को जारी रखते हुए वर्ष 2014 में 3000 मेगावाट एवं वर्ष 2015 में 4000 मेगावाट बिजली आपूर्ति का लक्ष्य है।

बरौनी तथा काँटी थर्मल पावर स्टेशन (BTPS & KTPS) के 110 मेगावाट के चारों यूनिटों के आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य BHEL द्वारा एन०टी०पी०सी० के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। बरौनी की दोनों ईकाईयों एवं काँटी की एक इकाई का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य 2014 में पूरा होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर की इकाई संख्या-1 का वाणिज्यिक उत्पादन 1 नवम्बर, 2013 से प्रारम्भ हो चुका है।

राज्य योजना के अन्तर्गत बरौनी ताप विद्युत् प्रतिष्ठान के क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 3666 करोड़ रूपये की लागत से 250 मेगावाट की दो नई ईकाईयों (कुल 500 मेगावाट) एवं मुजफ्फरपुर ताप विद्युत् प्रतिष्ठान की क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 3345 करोड़ रूपये की योजना से 195 मेगावाट की दो ईकाईयों (कुल 390 मेगावाट) का निर्माण स्वीकृत किया गया है ।

चौसा (बक्सर) में प्रस्तावित 1320 मेगावाट के निर्माण हेतु सतलज जल विद्युत निगम के साथ समझौता हो चुका है। इस परियोजना से बिहार को 85% बिजली मिलेगी। पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए NHPC के साथ समझौते की स्वीकृति दी गई है। उपरोक्त परियोजना के लिए देवचा पश्चिमी कोल ब्लॉक (पश्चिम बंगाल) का आवंटन किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में स्पेशल प्लान के अंतर्गत संचरण तथा वितरण के लिये लगभग 9200 करोड़ रूपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

इसके अतिरिक्त राज्य में कुल 32 राजस्व अनुमण्डलों की पहचान की गई है, जहाँ एक भी ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत नहीं हैं। ऐसे 32 राजस्व अनुमण्डलों में 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण कराया जायेगा।

बिजली उपभोक्ताओं को बिल भुगतान हेतु, सहज वसुधा केन्द्र, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एयरटेल मनी तथा मोबाईल कलेक्शन वैन द्वारा बिजली बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिजली बिल भुगतान हेतु ऑनलाईन सुविधा सभी बैंकों के डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से दी गई है।

बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अन्तर्गत 560 सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम अधिष्ठापन का कार्य राज्य के पाँच जिलों सहरसा, सुपौल, अररिया, पूर्णियाँ एवं किशनगंज में कराया जा रहा है एवं मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना अन्तर्गत 1100 पम्प का भी अधिष्ठापन इसी वर्ष कराया जा रहा है। सभी जिलों के समाहरणालयों, जिला अस्पतालों एवं जिला अतिथि गृहों पर 25 KWP क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

ऊर्जा विभाग को वर्ष 2014-15 में 6354.97 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 3189.92 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 3165.05 करोड़ रूपये शामिल है ।

ग्रामीण कार्य विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना प्रारंभ की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 प्रस्तावित कार्यक्रमः-

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में राज्य के Non-IAP जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों/बसावटों को आगामी 5 वर्षो में बारहमासी एकल सड़क सम्पर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत लगभग 37908 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण आगामी 5 वर्षो में किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिये प्रखंडवार राज्य कोर-नेटवर्क तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1300 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है ।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना - इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के Non-IAP जिलों में 500 से उपर एवं IAP जिलों में 250 से उपर की आवादी वाले अनजुड़े गाँवों और बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से चरणबद्ध रुप में एकल सम्पर्कता प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 10000 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

ग्रामीण कार्य विभाग को वर्ष 2014-15 में 5292.86 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 4335.91 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 956.95 करोड़ रूपये शामिल है ।

पथ निर्माण विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-14 में पथ संरचनाओं के रख-रखाव हेतु ***'बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति 2013'*** लागू की गयी है। महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा पथ दीघा से दीदारगंज 3160 करोड़ रूपये, पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर 1289 करोड़ रूपये, मीठापुर रेलवे उपरी पुल से चिड़ैयाटाड़ पुल तक एलिवेटेड विस्तारीकरण 167.85 करोड़ रूपये के लागत का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

गोपालगंज जिलान्तर्गत बंगरा घाट में गंडक नदी पर 508.97 करोड़ की लागत से 3 लेन उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल एवं औरंगाबाद जिला के दाउदनगर-नासरीगंज के बीच 619.28 करोड़ की लागत से 4 लेन उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल; इन दोनों महासेतुओं के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2240 कि०मी० वृह्द जिला पथ एवं राज्य उच्च पथ का रख-रखाव कार्य किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण-सह-संधारण नीति के तहत वर्ष 2014-15 में 736.70 कि०मी० नये पथों का निर्माण किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में वृह्त एवं लघु दोनों प्रकार के पुल एवं पुलियों 473 पुलों का निर्माण किया जायेगा । खगड़िया जिला के अगुवानी घाट से सुल्तानगंज, भागलपुर के बीच गंगा नदी पर 1710.17 करोड़ की लागत से 4 लेन के महासेतु का निर्माण किया जायेगा ।

पथ निर्माण विभाग को वर्ष 2014-15 में 4898.04 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 4000.00 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 898.04 करोड़ रूपये शामिल है ।

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 1435 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण किया जायेगा।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) परियोजना के अन्तर्गत पंचायत राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन एवं विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तरालों को भरने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों हेतु 974.17 करोड़ रू० व्यय किया जायेगा।

राज्य के सभी गाँवों एवं टोलों की गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''मुख्य मंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम'' के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान (General Performance Grants) के रूप में क्रमशः 877.02 करोड़ रू० एवं 596.97 करोड़ रू० अर्थात कुल 1473.99 करोड़ रू० (चौदह अरब तेहत्तर करोड़ निन्यानबे लाख रू०) पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राशि 824.82 करोड़ रू० एवं असम्बद्ध अनुदान राशि 180.27 करोड़ रू० अर्थात कुल 1005.09 करोड़ रू० (दस अरब पाँच करोड़ नौ लाख रू०) उपलब्ध करायी जायेगी।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 में मानदेय भुगतान के लिए 195.00 करोड़ रु० (एक सौ पनचानबे करोड़ रु०) की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

पंचायती राज विभाग को वर्ष 2014-15 में 4325.82 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1548.67 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 2777.15 करोड़ रूपये शामिल है ।

समाज कल्याण विभाग

समेकित बाल विकास सेवा योजनाः -राज्य के 544 प्रखंडों में समेकित बाल विकास सेवा योजना स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में आई.सी.डी.एस. के केन्द्रांश मद में 153155 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है एवं राज्यांश मद में 15862.66 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रमः- राज्य के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 91677 आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रांश मद में 70276.12 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है एवं राज्यांश मद में 62151.82 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3558280 बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु 8895.70 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रांश मद में 13429.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 6375.00 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है, जिससे 17 लाख किशोरी बालिकाओं को इस योजनान्तर्गत लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.):- राज्य के दो जिलों यथा वैशाली एवं सहरसा में इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना लागू है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में खाद्य सुरक्षा बिल लागू होने से राज्य के सभी जिलों के 14.23 लाख गभर्वती एवं शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 4854 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

SWASTH योजना :- पोषण एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य में डी. एफ.आई.डी. (डिपार्टमेन्ट फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट) सम्पोषित SWASTH योजना अगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 में 11600 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

आई.सी.डी.एस. प्रणाली पोषण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण योजना (आई.एस.एस. एन.आई.पी.) बाह्य सम्पोषित योजनाः- यह नई योजना है। भारत सरकार से सहयोग प्राप्त योजना ICDS System Strengthening & Nutrition Improvement Project (ISSNIP) विश्व बैंक सम्पोषित है। जिसके द्वारा आई.सी.डी.एस. के माध्यम से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तथा पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की प्राप्ति, सामुहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकण के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। बिहार राज्य के 19 जिलों की सभी 281 परियोजनाओं के कुल 43292 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर लागू किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रांश मद में 3101.82 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 344.65 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1600 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा किसी भी आय वर्ग एवं उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को एकमुश्त 20,000 रूपये राज्य निधि से दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 200 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, ‘‘सम्बल’’ :- विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु नई एवं पुरानी योजनाओं को एकीकृत कर मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) कार्यान्वित की गयी है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1200 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन एवं उन्हें भिक्षावृत्ति से दूर रखने हेतु बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अन्तर्गत राज्य के अनुमानित 13 हजार कुष्ठ रोगी को 1500 रूपये प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी के दर से सहायता राशि देने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 350 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

विकलांगजनों को रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया है।

भिक्षुकों एवं अतिनिर्धन वर्ग के कल्याणार्थ पुनर्वास की एक कार्य योजना का प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत् मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में ''स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर'' का गठन किया गया है, वृद्धों के पुनर्वास के लिए ''ओल्ड एज होम'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसपर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 150 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना :- इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत, बी0पी0एल0 परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000/- (साठ हजार) रूपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/- (पॉच हजार) रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना हेतु 5040 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना :- इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों में जन्म लेने वाले कन्याओं के लिए मात्र 2000 (दो हजार) रूपये प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यू0टी0आई0 के चिल्ड्रेन कैरियर वैलेन्स्ड फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ एक

परिवार में जन्म लेनेवाले मात्र दो कन्याओं तक सीमित है। अभी तक इस योजना के अधीन कुल 11,84,482 (ग्यारह लाख चौरासी हजार चार सौ बैरासी) बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 1200 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :- यह योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण की विशिष्ट योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम के माध्यम से कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 120 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

समाज कल्याण प्रक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गृहों के निर्माणः- विभिन्न जिलों में पर्यवेक्षण गृहों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 800 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

परवरिशः- इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से विपन्न परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित हो अथवा वार्षिक आय 60,000/- (साठ हजार) रूपये से कम हो में, निम्नांकित श्रेणी के संतानों के समाज में पालन-पोषण तथा गैर सांस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 240 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित है।

अंतर्जातीय विवाहः– इस योजना का उद्देश्य हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तरजातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 25,000 रूपये राशि का भुगतान राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से किया जाता है। योजना के सरलीकरण के उद्देश्य से वर्तमान में योजना के प्रावधानों में संशोधन करने तथा इस योजना के तहत देय राशि 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये से बढ़ाकर 50,000/- (पचास हजार) रूपये करने की कार्रवाई की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में अन्तरजातीय विवाह मद में 100 लाख (एक सौ लाख) रूपये बजट प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य महिला आयोग के संधारणार्थ 150 लाख (एक सौ पचास लाख) रूपये बजट प्रस्तावित है।

समाज कल्याण विभाग को वर्ष 2014-15 में 4631.14 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 4576.75 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 54.39 करोड़ रूपये शामिल है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

छात्रवृत्ति योजना:- अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है। वर्ष 2014-15 में इस मद में 633.79 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। जिससे लगभग 38 लाख छात्र/छात्राओ को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री अनु0जाति एवं अनु0जनजाति मेधावृत्ति योजनाः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस मद में 22.50 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

अनु0 जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सहायता:- अनु0 जाति एवं अनु0 जनजातियों के अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में कुल 1267 अत्याचार से पिड़ित व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस मद में 12.58 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

अनु0 जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना :- अनु0 जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्यांश मद

में 50 लाख रूपये एवं केन्द्रांश मद में 40.00 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

अनु0 जनजाति उपयोजना एवं संविधान की धारा 275 (1) के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता :- इस योजना के तहत् जनजाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस मद में 25.98 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

महादलित विकासः- महादलितों के विकास हेतु सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार महादलित विकास मिशन नामक संस्था का गठन किया गया है। महादलितों के विकास के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

आवासीय भूमि योजनाः- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से आवासीय भूमि योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक महादलित परिवार को 3 डेसीमल जमीन उपलब्ध कराया जा रहा है।

महादलित विकास के लिए महादलित शौचालय निर्माण योजना, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड, मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना इत्यादि क्रियान्वित की जा रही है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में 216.09 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजनाः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस मद में 15 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

थरूहट क्षेत्र विकास :- समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण का गठन बेतिया (प0 चम्पारण) में सोसाईटी रजिस्ट्रशन एक्ट 1860 के तहत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस मद में 25.30 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है।

अनु0 जाति एवं अनु0 जन0 जाति कल्याण विभाग को वर्ष 2014-15 में 1159.53 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में

967.76 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 191.77 करोड़ रूपये शामिल है ।

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

अन्य पिछड़ा वर्ग प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्तिः- इस योजना के अन्तर्गत वर्ग 1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग (1.00 लाख रूपये आय की सीमा तक वाले परिवार) एवं सभी अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 12000000 छात्र/छात्राओं को विद्यालय छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ग-11 एवं उच्चतर कक्षाओं तथा इंजीनियरिंग/मेडिकल/प्रबंधन आदि विभिन्न कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 400000 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले प्रति छात्र/छात्राओं को 10,000 रूपये एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है।

जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के अति पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए राज्य के सभी जिलों में एक-एक छात्रावास निर्माण करने हेतु अब तक कुल 32 जिलों में छात्रावास निर्माण हेतु भूमि का हस्तांतरण हो गया है एवं निर्माण कार्य प्रगति में है। शेष 6 जिलों में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को वर्ष 2014-15 में 1475.79 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1465.15 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 10.64 करोड़ रूपये शामिल है ।

योजना एवं विकास विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यक्रम

कोसी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाः- विश्व बैंक सम्पोषित इस कार्यक्रम के तहत आवास निर्माण, पथ एवं पुलिया, बाढ़ प्रक्षेत्र प्रबंधन एवं तकनीकी तथा परियोजना प्रबंधन आदि योजनाएँ कार्यान्वित करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रमः- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के लिए 660 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस कार्यक्रम के लिए 66.92 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

एकीकृत कार्य योजनाः- इस योजना के तहत राज्य के 9 जिले सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के लिए 330 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

जिला नवाचार निधिः- 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रत्येक जिले के लिए जिला नवाचार कोष के सृजन का निर्णय है। इस कोष के लिए प्रत्येक जिले को एक करोड़ रूपये का अनुदान विमुक्त किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इसके लिए 19 करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

योजना एवं विकास विभाग को वर्ष 2014-15 में 2785.50 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 2631.72 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 153.78 करोड़ रूपये शामिल है ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 फरवरी 2014 से राज्य में लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 85.12 प्रतिशत अर्थात 783.74 लाख एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53 प्रतिशत अर्थात 87.42 लाख कुल 871.16 लाख जनसंख्या आच्छादित होगी । परिवारों के चयन होने के उपरांत चयनित परिवारों को उक्त अधिनियम के आलोक में अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत परिवारों को 35 किलोग्राम एवं पूर्व प्राप्तकर्त्ता परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है।

ग्रामीण अनाज बैंक की स्थापनाः- खाद्य की कमी तथा प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में 415 ग्रामीण अनाज बैंक भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये हैं। ग्रामीण अनाज बैंक में 40 क्वींटल खाद्यान्न सुरक्षित रखने की योजना है। ग्रामीण अनाज बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवार के लाभुकों को प्रति परिवार 1 (क्वींटल) खाद्यान्न (चावल) उधार के रूप में उपलब्ध कराना है। प्रत्येक बैंक के साथ 30-40 बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवार सम्बद्ध होंगे जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम एक क्वींटल अनाज उधार के रूप में दिया जा सकेगा।

अधिप्राप्तिः- राज्य के कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान कराने के लिए एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा कल्याणकारी योजनाओं की खाद्यान्न की मांग की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति कार्यक्रम राज्य में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है ।

राज्य सरकार कृषकों को उनकी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य से शत-प्रतिशत लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है।

खरीफ विपणन मौसम 2013-14 अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण किस्म 1310/- रूपये प्रति क्विंटल एवं ग्रेड 'ए'-1345 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य के किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने तथा अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसानों को 250/- रूपये प्रति क्विंटल बोनस की राशि भुगतान की जा रही है।

इस मौसम में दिनांक-21.01.2014 तक कुल धान अधिप्राप्ति 73296.31 मेट्रिक टन हुई है।

खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग को वर्ष 2014-15 में 796.86 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 652.36 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 144.50 करोड़ रूपये शामिल है ।

गृह विभाग

कानून का राज मजबूती से स्थापित कर बिहार सरकार ने समाज के सभी वर्गो का सम्मान तथा विश्वास अर्जित किया है। सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों की सुरक्षा हो, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हो। इस दिशा में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से विगत वर्षों में समाज के सभी वर्गों का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है तथा आम जनता में आत्मविश्वास एवं राज्य के विकास का संचार हुआ है। साथ-ही-साथ भ्रष्टाचार उन्मूलन पर भी राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है।

राज्य की कानून व्यवस्था को और प्रभावशाली बनाने हेतु तथा बदलते समय की नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के 155 थानों में विधि-व्यवस्था तथा अनुसंधान का पृथक्करण किया गया है। वर्ष 2013 में पुलिस

द्वारा प्रस्तुत केसों के स्पीडी ट्रायल (त्वरित विचारण) में कुल 9078 अपराधियों को न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है, जिसमें मृत्यु-दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दंडित कुल 1289 अपराधी शामिल हैं।

पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण हेतु जनसंख्या के अनुपात में विभिन्न कोटि के पुलिस कर्मियों के कुल 43761 पदों का सृजन किया गया है। राज्य में आतंकवादी गतिविधियों से मुकाबला करने हेतु आतंकवाद विरोधक दस्ता (ATS) का गठन किया गया है। इसके लिए विभिन्न कर्मियों के कुल 344 पदों का सृजन किया गया है। विशेष कार्य बल (STF) के सुदृढ़ीकरण के लिए 25 अतिरिक्त ईकाइयों का गठन किया गया है।

भारत सरकार के 'इंडिया रिजर्व' पैटर्न पर एक अतिरिक्त विशेष आई0आर0 बटालियन का गठन तथा इसके संचालन हेतु कुल 1107 पदों का सृजन किया गया है। बिहार के माननीय सांसदों, विधायकों/पार्षदों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त अंग-रक्षक एवं आवास प्रहरी के निमित 29 हवलदार एवं 522 सिपाही सहित कुल 551 पदों का सृजन किया गया है तथा साईबर अपराध थाना की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 06 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा कई नए थानों एवं पदों का सृजन भी किया गया है।

बिहार पुलिस के सिपाही एवं अवर निरीक्षक संवर्ग की सीधी नियुक्तियों में आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। सिपाहियों के ग्रेड पे को 1900 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये किया गया है। गृह रक्षकों के दैनिक कर्त्तव्य भत्ते को 200 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये किया गया है। वर्ष 2013 में राज्य पुलिस संवर्ग की विभिन्न कोटियों में कुल 6315 पदों पर प्रोन्नति दी गयी हैं।

अनुसंधान में विधि विज्ञान के उपयोग की बढ़ती जनाकांक्षा तथा तकनीक के व्यापक प्रयोग के विकास को दृष्टिपथ में रखते हुए कई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। इसके तहत फोरेंसिक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, नई सुविधाओं यथा पॉलीग्राफ, साइबर फोरेंसिक, वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफी एवं डी०एन०ए० लैब की व्यवस्था तथा अन्य आधुनिक उपकरणों/सयंत्रों की स्थापना आदि कार्रवाईयाँ प्रमुख हैं। हत्या मामलों के बेहतर अनुसंधान गुणात्मक साक्ष्य संकलन शव-परीक्षण (Autopsy) एवं ऊतक-विकृति विज्ञान (Hisopathology) से ही संभव है। इसके लिए पुलिस विभाग, विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं स्वास्थ्य विभाग में समन्वय, आधुनिक शवगृह का निर्माण तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना चिकित्सा महाविद्यालय/नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय में ऊतक-विकृति विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यारंभ जैसे नए कदम उठाए गए हैं। आर्थिक अपराधों के बेहतर अनुसंधान के लिए अलग से आर्थिक अपराध इकाई का गठन किया गया है। अपराध से धन एकत्रित करने वाले अपराधियों पर लगाम कसने के लिए क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट ऑर्डिनेंस 1944, UAPA, NDPS Act एवं PMLA के सुसंगत प्रावधानों के तहत कई कार्रवाई की जा चुकी है और कई मामले प्रक्रियाधीन है।

अग्निशमन हेतु राज्य के 881 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी का छोटा वाहन उपलब्ध कराने की योजना के अधीन 173 चेसिस लागत राशि 8.50 करोड़ रूपये पर क्रय किए गए हैं। साथ ही उक्त चेसिस पर फेब्रिकेशन हेतु 13.45 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी दी गयी है।

पुलिस मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि 28124 लाख (दो सौ इक्कासी करोड़ चौबीस लाख) रूपये की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत गैर योजना मद में 46.62 करोड़ रूपये एवं योजना मद में 85.58 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य योजना के तहत गृह विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 48265.58 लाख रूपये का उद्व्यय एवं बजट उपबंध निर्धारित है जिससे कुल 1054.31 करोड़ रूपये की योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। माह दिसम्बर तक 314.70 करोड़ रूपये राशि व्यय किया गया है जो कुल उद्व्यय का 65 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 से राज्य में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु नयी योजनाओं का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अबतक स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन के विभिन्न कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को 35. 5166 करोड़ रूपये राशि का आवंटन दिया गया है। इसके अतिरिक्त मांग के अनुसार पूर्व की अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु कुल 14.1392 करोड़ रूपये जिलों को आवंटित किया गया है। अब तक कुल 4409 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का भौतिक प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त है।

देश में बिहार पहला राज्य है, जिसमें कारा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के उद्देश्य से उन्हें पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने हेतु Prison ERP System विकसित किया गया है। राज्य में अवस्थित काराओं में मुलाकातियों के लिए Visitors Complex तथा मुलाकाती-प्रबंधन-तंत्र की योजना तैयार कर पायलट प्रोजेक्ट को आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में मूर्त रूप दिया गया है। इस व्यवस्था को राज्य

की अन्य 21 (इक्कीस) काराओं में भी लागू करने की त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

देश के सर्वश्रेष्ठ मुक्त-कारा के रूप में राज्य का प्रथम मुक्त-कारागृह, बक्सर में खोला गया है। विगत एक वर्ष में राज्य की 43 काराओं में विडियो कॉफ्रेंसिंग प्रणाली के जरिए बंदियों का उपस्थापन कार्य प्रारम्भ किया गया है। शेष काराओं में भी इस प्रणाली के अधिष्ठापन की कार्रवाई की जा रही है।

राज्य की काराओं में संसीमित सजावार बंदियों को बंदियों के द्वारा किए गए श्रम के लिए जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसी पारिश्रमिक में से एक तिहाई अंश काट कर बंदियों के अपराध से पीड़ित विपक्षी परिवार के सदस्यों को देने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु ‘‘अपराध पीड़ित कल्याण न्यास’’ की स्थापना की गयी है।

गृह विभाग को वर्ष 2014-15 में 6361.75 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 523.97 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 5837.78 करोड़ रूपये शामिल है ।

अल्प संख्यक कल्याण विभाग

राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्प है । सच्चर कमिटी ने मुसलमानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कर बताया कि उनकी हालत समाज में अत्यंत दयनीय है। सच्चर कमिटी की सिफारिशों के आलोक में हमारी सरकार के द्वारा राज्य के अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही है ।

इस वर्ष से हमने सरकारी एवं अनुदानित विद्यालयों की पहली से दसवीं कक्षा तक की सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति से आच्छादित किया जा सकेगा।

उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिकता पर की गयी है। उर्दू शिक्षकों के 69 हजार पदों के विरुद्ध 33121 शिक्षक कार्यरत हैं। अन्य 29 हजार पदों पर बहाली प्रगति पर है। राज्य सरकार ने 29 सितम्बर 2013 को उर्दू शिक्षकों की विशेष पात्रता परीक्षा करायी जिसमें सफल 15300 उम्मीदवारों की बहाली शीघ्र होगी ।

किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध करायी गई है तथा तत्काल पठन पाठन प्रारंभ करने हेतु दो बहुमंजिला छात्रावास राज्य सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। प्रथम बैच के छात्रों का चयन भी हो गया है।

अल्पसंख्यक कामगारों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजना के लिए मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के संचालन हेतु नयी नियमावली तैयार की गई है जिसके तहत अल्पसंख्यक कामगारों को उत्तम कोटि के संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है । वर्तमान में सेन्ट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नॉलॉजी (CIPET) हाजीपुर में 120 अल्पसंख्यक प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है एवं Raymond कम्पनी के पटना में स्थित आधुनिक प्रशिक्षण गृह में टेलरिंग प्रशिक्षण हेतु 150 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई की जा रही है।

सुशासन कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशालय का गठन कर दिया गया है तथा निदेशक एवं कुछ अन्य पदाधिकारियेां/कर्मियों का पदस्थापन भी कर दिया गया है । जिलों में 38 अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है और वे सभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हमारी सरकार की प्राथमिकताओं पर आधारित दस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा हमने की थी। इसके अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखना, भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय एवं राहत देना, सरकार में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी, शिक्षा तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, मदरसा

आधुनिकीकरण, उर्दू भाषा के विकास, कब्रिस्तान घेराबंदी तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने जैसे बिन्दु शामिल किये गये थे। हमारी सरकार ने प्रत्येक बिन्दु पर पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्रवाई की है।

अल्प संख्यक कल्याण विभाग को वर्ष 2014-15 में 300.75 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 290.60 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 10.15 करोड़ रूपये शामिल है ।

जल संसाधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-14 में दुर्गावती जलाशय योजना को पूरा कर कैमुर एवं रोहतास जिले के 33467 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। मोकामा टाल क्षेत्र के जल के बेहतर आर्थिक उपयोग हेतु टास्क फोर्स दल का गठन किया गया है। बेहतर बाढ़ प्रबंधन कार्य के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 137250 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्यक्रम है।

पश्चिमी कोशी मुख्य नहर परियोजना को 31 मार्च, 2015 तक पूरा कराने का कार्यक्रम है। इससे सुपौल, मधुबनी, और दरभंगा जिले के किसान लाभान्वित होंगे ।

अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के उद्देश्य से गंडक नदी पर द्वितीय बराज (अरेराज के समीप) तथा बागमती सिंचाई तथा जल निस्सरण योजना (ढेंग के पास बराज का निर्माण) के विस्तृत योजना प्रतिवेदन पर केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त कर बागमती सिंचाई तथा जल निस्सरण योजना द्वारा मुजफ्फरपुर, शिवहर, और पूर्वी चम्पारण के 1.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान की जायेगी।

पुरानी सिंचाई योजनाओं के द्वारा 1,14,780 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य है।

पूर्वी गंडक नहर योजना फेज-2 का विस्तारीकरण योजना (प्राक्कलित राशि 1799.50 करोड़) रूपये से वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों में कुल 1.46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करायी जायेगी।

जल संसाधन विभाग को वर्ष 2014-15 में 2505.20 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1780 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 725.20 करोड़ रूपये शामिल है ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यक्रम

माननीय विधायकों की अनुशंसा पर 'मुख्यमंत्री चापाकल योजना' के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में पेयजलापूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अगले पाँच सालों के लिए प्रति वर्ष बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच चापाकल तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण हेतु योजना ली जानी है एवं गत वर्ष के अवशेष लक्ष्य को पूरा किया जाना है।

निर्मल भारत अभियान (NBA) के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) एवं चिन्हित गरीबी रेखा से उपर (APL) के परिवारों के घरों में वैयक्तिक शौचालयों के निर्माण, विद्यालय में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, तथा आगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय हेतु स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश की राशि दी जाएगी।

लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से उपर के वैसे परिवारों जो निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उनके घरों में शौचालय के निर्माण हेतु राशि दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)

विगत् वर्षों में स्वीकृत ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन एवं नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के अवशेष कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है।

राज्य के प्राथमिक/मध्य विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है।

राज्य के अन्तर्गत अभावग्रस्त इलाकों में सोलर पम्प आधारित मिनी जलापूर्ति योजना एवं गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्वीकृत मिनी पाईप जलापूर्ति योजना के अवशेष लक्ष्य को पूरा किया जाना है।

राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य टोलों में सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ 534 मिनी जलापूर्ति योजना तथा फ्लोराईड प्रभावित जिलों में 350 सौर ऊर्जा चालित पम्प एवं ट्रिटमेंट यूनिट के साथ मिनी जलापूर्ति योजना एवं लौह प्रभावित 350 बसावटों के लिए समुचित ट्रिटमेंट यूनिट एवं सोलर पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

बक्सर जिला के 130 ग्राम, पटना जिला के 25 ग्राम, वैशाली जिला के 45 ग्राम, बेगुसराय जिला के 111 ग्राम एवं समस्तीपुर जिला के 67 ग्राम, जो आर्सेनिक प्रभावित हैं, में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु स्वीकृत मल्टिविलेज पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जाना है।

फ्लोराईड प्रभावित 300 ग्रामों/टोलों में शुद्ध पेयजल हेतु समुचित ट्रीटमेंट यूनिट एवं सोलर पम्प के साथ पूर्व में स्वीकृत मिनी पाईप्ड जलापूर्ति याजना के अवशेष कार्य को पूरा किया जाना है।

आर्सेनिक प्रभावित 150 ग्रामों/टोलों में शुद्ध पेयजल हेतु समुचित ट्रीटमेंट यूनिट एवं सोलर पम्प के साथ पूर्व में स्वीकृत मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजना के अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाना है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को वर्ष 2014-15 में 1794.73 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1411.83 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 382.90 करोड़ रूपये शामिल है ।

लघु जल संसाधन विभाग

सुखाड़ की स्थिति में भूगर्भ जल श्रोत आधारित नलकूप पर निर्भरता बढ़ जाती है। इस विभाग के अधीन कई नलकूप योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है :-

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजनान्तर्गत किसानो को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु अनुदान आधारित निजी नलकूप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 65.48 करोड़ रुपये से प्रथम चरण में प्रायोगिक तौर पर प्रत्येक जिला के एक-एक प्रखंड में योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। चालू वर्ष 2013-14 में किसानों को 25000 निजी नलकूप एवं 10,000 मोटर पम्प के वितरण का लक्ष्य है।

राज्य में कुल 10240 राजकीय नलकूपों में से अक्रियाशील 5000 नलकूपों को मार्च 2014 तक क्रियाशील कर किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है।

नाबार्ड फेज XI के अधीन कुल 2740 नलकूप अधिष्ठापित हैं, जिसका ऊर्जान्वयन बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा किया जा रहा है। मार्च 2014 तक लगभग 80 प्रतिशत नलकूप एवं शेष को अगले खरीफ के पूर्व ऊर्जान्वयन कर क्रियाशील करने का लक्ष्य है ।

नाबार्ड फेज-VIII के अन्तर्गत स्थापित डीजल चालित 1591 राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु योजना बनाई गई है । इस योजना का लाभ खरीफ 2014 तक मिलने की आशा है ।

विगत वर्षों में औसत से कम वर्षापात होने के कारण भूगर्भ जल स्तर में गिरावट एवं भूगर्भ जल स्तर की मापी हेतु Telemetry System पर आधारित Automatic Digital Water Level Recorder का अधिष्ठापन प्रायोगिक तौर पर नालंदा जिले के चण्डी ग्राम में किया गया है, जिससे सफलतापूर्वक भूगर्भ जल स्तर की सूचना प्राप्त हो रही है ।

राज्य के 534 प्रखण्डों एवं 38 जिलों के मुख्यालयों में कुल 577 Automatic Digital Water Level Recorder के अधिष्ठापन का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है जिसे वर्ष 2014-15 में पूर्ण किया जायेगा ।

लघु जल संसाधन विभाग को वर्ष 2014-15 में 900.50 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 337.71 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 562.79 करोड़ रूपये शामिल है ।

नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य के नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् एवं निरन्तर प्रयत्नशील है। बिहार में शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं तथा बहुआयामी विकास हेतु प्राथमिकताएँ भी निर्धारित की गई हैं।

IHSDP योजना- (समेकित आवास एंव मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम)

32 परियोजनाओं में कुल 28255 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर कुल 75788.00 लाख रूपये खर्च होने हैं । इसके तहत 14 शहरों के लिए चयनित एजेंसी 2835 आवासीय ईकाइयों का निर्माण पूरा कर चुकी है एवं 17 शहरों के लिए बनने वाले आवासों को लाभुकों के माध्यम से कराने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूरा कर लिया जाएगा।

BSUP (Basic services to the Urban Poor)-

पटना एवं बोधगया में शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण के लिए शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा कुल 22372 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर कुल 70998.00 लाख रूपये व्यय होने हैं। इस हेतु पटना के चार क्षेत्रो में 432 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है एवं शेष प्रगति पर है।

मेट्रो रेल- पटना में मेट्रो रेल योजना के कार्यान्वयन हेतु RITES को डी0पी0आर0 बनाने हेतु जिम्मेवारी दी गयी है।

राजीव आवास योजना (RAY) – इस योजना में स्लम मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाएँ तथा समुचित आश्रय सुलभ हो। इस योजना के अंतर्गत राज्य के चार शहरों यथा पटना, गया-बोधगया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया गया था। राजीव आवास योजना के भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशा निर्देश के आलोक में संप्रति राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निकायों का परियोजना प्रतिवेदन (DPR) एवं स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (SFCPOA) तैयार करने हेतु संस्थाओं के चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

नगर विकास एवं आवास विभाग को वर्ष 2014-15 में 2420.94 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1742.81 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 678.13 करोड़ रूपये शामिल है ।

उद्योग विभाग

हाल के वर्षों में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में उद्यमियों की रूचि बढ़ी है। बियाडा द्वारा प्रत्येक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगणों में उद्योग स्थापना हेतु अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें भूमि का आवंटन किया गया है। वर्ष 2006 के बाद लगातार कार्यरत इकाईयों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2005 तक मात्र 1120 इकाईयों को भूमि आवंटित थी, वहीं वर्त्तमान में कुल 2516 इकाईयों को भूमि आवंटित है। उत्पादनरत इकाईयों की संख्या 270 से बढ़कर 1194 हो गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में अब तक 146 नई औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्रः- राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाओं को देखते हुए विशेष प्रयास किये गये है। जिसके फलस्वरूप बिहार राज्य खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है। बहुचर्चित कंपनियॉ जैसे ब्रिटेनियॉ, पारल–G और रूचिसोया आदि उत्पादनरत है। राज्य में समेकित खाद्य विकास कार्यक्रम योजना से अब तक इस योजनान्तर्गत 2856.57 करोड़ रूपये लागत की 229 परियोजनायें कार्यरत है।

दो मेगा फुड पार्क यथा प्रीस्टीन मेगा फूड पार्क, मानसी, खगड़िया एवं जे0भी0एल0, मेगा फूड पार्क, बांका एवं बक्सर जिला में एक फुड पार्क परियोजना की स्थापना की जायेगी।

हस्तकरघा प्रक्षेत्रः- हस्तकरघा के क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों के समग्र विकास के लिए 4 वर्षो में (2012-13 से 2015-16) 150.25 करोड़ रूपये व्यय कर 24000 पूर्णकालीन बुनकरों को लाभान्वित करने के उद्धेश्य से मुख्यमंत्री समेकित हस्तकरघा विकास की नई महत्वकांक्षी योजना राज्य येाजना मद से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बुनकरों को नये करघे का क्रय, कच्चे माल क्रय हेतु

कॉरपस मनी, प्रकाशयुक्त वातावरण में कार्य करने हेतु कर्मशाला निर्माण के लिए सहायता राशि लाभान्वित बुनकरों को सीधे खाते में हस्तानान्तरित किये जायेगें। साथ ही बुनकरों को प्री-लूम एवं पोस्ट-लूम की सुविधा के लिए सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र की स्थापना, यार्न डिपो के माध्यम से अनुदानित दर पर सूत की आपूर्ति तथा उत्पादित वस्त्रों के विपणन में सहायता हेतु बुनकर हाट स्थापित किये जायेगें। इससे राज्य के बुनकरों के नियोजन एवं आय में वृद्धि होगी। इस योजना के अधीन अब तक 4914 बुनकरों को नये करघे क्रय करने हेतु 589.96 लाख रूपये उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायी गई है।

राज्य में आठ प्रशिक्षण केन्द्रों यथा- झींगनगर (बिहार शरीफ), काको (जहानाबाद), चाकन्द (गया), ओबरा (औरंगाबाद), अम्बा (भागलपुर), अमरपुर (बांका), केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र (पटना) एवं पॉलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी (भागलपुर) में बुनकरों को वस्त्र बुनाई एवं डिजाईन में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में 144 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत है।

रेशम प्रक्षेत्रः- मुख्यमंत्री तसर विकास परियोजना के अन्तर्गत 13525 हेक्टर में तसर खाद्य-पौधों का रोपण कर कीटपालन तथा तसर के कोकुन से सूत उत्पादन किया जायेगा। इससे तसर कृषकों के स्वरोजगार एवं आय में वृद्धि होगी।

मलबरी विकास के लिए मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना के अन्तर्गत निजी भूखण्ड में लगभग 2900 एकड़ में मनरेगा निधि से मलवरी वृक्षारोपण कराया जायेगा।

केन्द्र प्रायोजित योजना (सी0डी0पी0) के तहत 145.50 एकड़ में मलवरी वृक्षारोपण किया गया। इसी योजना अन्तर्गत कुल 487 व्यक्तियों को मलवरी/अंडी कीटपालन का प्रशिक्षण दिया गया। 119 व्यक्तियों को अध्ययन भ्रमण कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के भावी कार्यक्रम

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 1 लाख मेट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, राइस मिलिंग क्षेत्र में 22 लाख मेट्रिक टन क्षमता की इकाईयों की स्थापना एवं खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में अन्य उद्योगों से संबंधित 28 परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य है।

राज्य के आठ प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कुल 206 बुनकरों को उन्नत करघे पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य मंत्री समेकित हस्तकरघा विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में राज्य के छः हजार बुनकरों को प्रति बुनकर 15000 रू0 लूम क्रय करने एवं 5000 रूपये कॉपर्स फंड (मार्जिन मनी) उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही 2000 बुनकरों को अपना घर लूम चलाने के लिए नहीं है, उन्हें कर्मशाला निर्माण के लिए 40000 रूपये आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी ।

उद्योग विभाग को वर्ष 2014-15 में 821.34 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 734.77 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 86.56 करोड़ रूपये शामिल है ।

सहकारिता विभाग

राज्य के कृषि रोड मैप 2012-17 अन्तर्गत कृषि के समग्र विकास हेतु तैयार महात्वाकांक्षी योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सहकारिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । इसके अन्तर्गत पैक्सों/व्यापार मडलों के आधारभूत संरचना हेतु भंडारण क्षमता में अधिवृद्धि के लिए नये गोदाम निर्माण कराने के निमित अब तक 1834 पैक्स एवं व्यापार मंडलों को गोदाम निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके विरूद्ध 387 गोदामों का निर्माण कर 84300 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है । 1756 में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके निर्माण से 422250 मेट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हो सकेगा ।

पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विकास हेतु खासकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण हेतु 2.00 लाख रूपये की दर से कार्यशील पूंजी उपलब्ध उपलब्ध करायी गयी है ।

संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम के आलोक में बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम, 2013 का अधिनियमन किया गया है । इस संशोधन से सहकारी समितियों (स्वावलम्बी सहित) के प्रबंधन में लगभग 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहकारिता के माध्यम से विकसित करने के उद्देश्य से परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से वर्त्तमान में राज्य के पाँच जिलों यथा कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली एवं नालंदा में कार्यान्वित किया जा रहा है एवं तीन जिलों जहानाबाद, अररिया एवं मोतिहारी में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है ।

प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने के निमित कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहकारिता के माध्यम से दो फसल बीमा योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से खरीफ 2012 मौसम में 15.84 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति पैक्सों के माध्यम से किया गया था । वहीं खरीफ 2013 मौसम में पैक्सों के माध्यम से 24 लाख मेट्रिक टन धान क्रय करने का लक्ष्य निर्धारित है ।

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के प्रारम्भ से 30.11.13 तक कुल 948006 किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 129558.82 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की गई है ।

सहकारिता विभाग को वर्ष 2014-15 में 473.54 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 402.87 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 70.67 करोड़ रूपये शामिल है ।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के मछुआरों के सर्वांगींण विकास हेतु बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य की योजना के तहत 300 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों का अवधि विस्तारीकरण एवं पशु चिकित्सा सेवा को पशुपालकों के लिए सुलभ एवं पारदर्शी बनाया जायेगा ।

राज्य मsa Bihar University of Animal Science & Technology की स्थापना कर उच्च स्तरीय शैक्षणिक सुविधा एवं रिसर्च कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना है ।

दुग्ध व्यवसाय से जुड़े हुए कृषकों, बेरोजगार युवकों, कमजोर वर्ग मजदूर तथा महिला वर्ग ऋण सह अनुदान पर डेयरी फार्मिंग योजना के माध्यम से सशक्तिकरण करना और उनके रोजगार का अतिरिक्त अवसर सृजित किया जायेगा ।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को वर्ष 2014-15 में 531.13 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 297.29 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 233.83 करोड़ रूपये शामिल है ।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

बिहार संग्रहालय (Bihar Museum) परियोजना के अन्तर्गत संग्रहालय भवन के निर्माण का कार्य किया गया है । 22 मार्च, 2015 को संग्रहालय का शुभारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित है।

वैशाली में बुद्ध सम्यूक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप के निर्माण की परियोजना के लिए 72.94 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण की जन्म स्थली सिताब दियारा, सारण में जे. पी. स्मृति भवन एवं पुस्तकालय के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग को वर्ष 2014-15 में 93.78 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 40.27 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 53.51 करोड़ रूपये शामिल है ।

श्रम संसाधन विभाग

वैश्वीकरण के दौर में मानव संसाधन को प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने एवं आर्थिक विकास के लिए उनके कौशलों का विकास अत्यन्त जरूरी है, वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच राज्य के 1 करोड़ व्यक्तियों का कौशल विकास कर उनकी आमदनी को बढ़ाया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 का प्रस्ताव

ईंट भट्टों में कार्यरत श्रमिकों को बंधुआ मजदूरी कुप्रथा के शोषण से दूर करने के उद्देश्य से आई0एल0ओ0 (अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन) के साथ संयुक्त कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव है।

राज्य के मजदूरों का मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने के लिए विशेष योजना चलाये जाने तथा प्रवासी मजदूरों के कल्याण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। इस प्रसंग में प्रवासी मजदूरों की परिभाषा में संशोधन करते हुए विदेशों के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी आच्छादित करने का प्रस्ताव है।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए सभी प्रखण्डों एवं पंचायतों में कार्यबल गठन करने का प्रस्ताव है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत सभी कल्याणकारी योजनाओं में अनुमान्य आर्थिक लाभ की राशि बढ़ाने हेतु नियमावली में संशोधन प्रक्रियाधीन है।

निर्माण श्रमिकों की दक्षता विकास हेतु प्रशिक्षण तथा उनके बच्चों को शिक्षा सहायता योजना लागू करने का प्रस्ताव है।

राज्य के प्रत्येक प्रमण्डल में पंजीकृत निर्माण कामगार के बच्चों के कौशल विकास हेतु कुल नौ आई0टी0आई0 खोलने का प्रस्ताव है।

प्रखण्ड स्तर पर श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के कार्यालय भवन का प्रावधान (निर्माण/किराये का भवन) कार्यालय स्थापना की स्वीकृति एवं सृजन का प्रस्ताव है।

बाल श्रमिकों की विमुक्ति के पश्चात् उनको गंतव्य स्थान पर पहॅुचाने/एक माह का राशन/वस्त्र/दवा/आहार/पथ्य, आदि हेतु कॉरपस फंड में राशि रखने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर/बंधुआ मजदूर को लाने एवं गंतव्य स्थान पर पहुँचाने हेतु भी कॉरपस फंड में राशि रखने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2014-15 में सभी जिलों में नियोजन मेला एवं नियोजन-सह-कौशल विकास मेला आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में कौशल विकास मिशन अंतर्गत 2.25 लाख युवाओं का कौशल विकास के लक्ष्य को कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में इसकी रफ्तार में तीव्रता लाई जानी है। बेरोजगारों को ऑनलाईन निबंधन की सुविधा प्रदान करने हेतु web-site launch करने का कार्य अंतिम चरण में है। इस पोर्टल को जॉब जंक्शन के रूप में विकसित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी प्रकार के मानव हस्तक्षेप (without Human Intervention) के नियोजनालयों का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। पूर्व स्थापित

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आज के मांग के अनुरूप नया व्यावसाय प्रारंभ करने का लक्ष्य है

राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार/स्वरोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मोडुलर इंप्लाईबुल स्कीम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में लगभग 2.40 लाख युवक/युवतियों को अल्प प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है।

बिहार राज्य उग्रवाद प्रभावित छः जिलों यथा- जहानाबाद, जमुई, गया, रोहतास, औरंगाबाद एवं अरवल में एक-एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं दो-दो स्कील डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना का लक्ष्य है।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं निरंतर प्रशिक्षण दिये जाने के दृष्टिकोण से इस पंचवर्षीय योजना में राज्य में एक एडवांस प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत स्थापित चिकित्सालयों के आधुनिकीकरण तथा उनके माध्यम से प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत बिहार के सभी जिला के बी0पी0एल0 एवं अन्य कोटि के परिवार यथा-बीड़ी मजदूर, मनरेगा मजदूर, घरेलू कामगार, कुली एवं स्ट्रीट भेंडर को आच्छादित करने का प्रस्ताव है।

श्रम संसाधन विभाग को वर्ष 2014-15 में 339.21 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 213.39 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 125.82 करोड़ रूपये शामिल है ।

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :-

362.49 करोड़ रूपये की लागत पर विधान सभा भवन तथा सचिवालय विस्तारीकरण की योजना।

490 करोड़ रूपये की लागत पर पटना में अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र-सह-ज्ञान भवन का निर्माण

93.14 करोड़ रूपये की लागत पर पटना में नियोजन भवन का निर्माण।

116 करोड़ रूपये की लागत पर पटना में माननीय उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण।

498.49 करोड़ रूपये की लागत पर बिहार संग्रहालय का निर्माण।

39.72 करोड़ रूपये की लागत पर इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना में नये भवन का निर्माण।

1.63 करोड़ रूपये की लागत पर रेणुग्राम सिमराहा में रेणु भवन का निर्माण।

भवन निर्माण विभाग को वर्ष 2014-15 में 2666 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 2121.97 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 544.03 करोड़ रूपये शामिल है ।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यक्रम

राज्य में 7 अभियंत्रण महाविद्यालयों, 18 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिकों तथा 11 राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालयों एवं 01 राजकीय मुद्रण प्रौद्योगिक विद्यालय की स्थापना की कार्रवाई की जायेगी।

नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के भवन निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। नवस्वीकृत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय, वी° पी° मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा एवं सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी के भवनों के निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

रोहतास एवं मुंगेर जिला में नया अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

राज्य के सभी जिलों में एक-एक पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना किये जाने के प्रसंग में नालन्दा, लखीसराय, रोहतास, वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सुपौल, शिवहर, पू० चम्पारण (मोतिहारी), जमुई, कैमुर, बांका एवं टेकारी (गया) में स्वीकृत पोलिटेकनिक के भवनादि निर्माण एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिलों यथा मुंगेर, भोजपुर, औरंगाबाद, प० चम्पारण, समस्तीपुर, शेखपुरा एवं नवादा में प्रस्तावित नये पोलिटेकनिक संस्थानों में भवनादि के निर्माण हेतु कार्रवाई की जायेगी।

दरभंगा में नया तारामंडल के निर्माण तथा पटना में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु कार्रवाई की जायेगी।

इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर-तारामंडल के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन कार्रवाई की की जायेगी।

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग को वर्ष 2014-15 में 137.34 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 73.72 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 63.62 करोड़ रूपये शामिल है ।

सूचना एवं प्रावैद्यिकी विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग का Roadmap निम्नवत् तैयार किया गया है :-

- Human Development Index - Digital Literacy
- Bihar State Optical Network
- State Date Centre
- State Services Delivery Gateway
- e-Shakti
- e-District for Entire State
- Big Data Analytics
- Block IT Centre
- Panchayat IT Centre
- Skill Development Programme
- Phase wise Computerization of Madarsa.

Human Development Index - Digital Literacy :

Human Development Index के तहत् सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा राज्य के कुल छः लाख बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण कुल पाँच वर्षों में प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण हेतु एजेन्सी के रूप में NIELIT का चयन किया गया है ।

Block I.T. Centre:

राज्य के कुल 534 प्रखण्डों में Block I.T. Centre का निर्माण किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर अवस्थित सभी कार्यालयों को आपस में सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

Panchayat I.T. Centre:

पंचायत स्तर पर I.T. Centre को विकसित किये जाने का योजना सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत् पंचायत स्तर पर ग्रामीण घरेलू महिलाओं एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कम्प्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । यह योजना राज्य के कुल 8463 पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की जायेगी ।

सूचना प्रावैद्यिकी विभाग को वर्ष 2014-15 में 202.25 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 199.03 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 3.22 करोड़ रूपये शामिल है ।

पर्यटन विभाग

वर्ष 2014-15 के भावी कार्यक्रमः-

सभी मुख्य पर्यटक स्थलों एवं उससे संबंद्ध स्थलों पर आउटसोर्स के माध्यम से सफाई व्यवस्था; मंदर पर्वत, बॉका, मुण्डेश्वरी मंदिर कैमूर, रोहतासगढ़ किला में आकाशीय रज्जुपथ की व्यवस्था; घोड़ा कटोरा राजगीर में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति की स्थापना एवं वहॉ पर विभिन्न पर्यटकीय सुविधाओं का विकास; राज्य के मुख्य-मुख्य पथों के किनारे एवं पर्यटन स्थलों पर साईनेज की स्थापना; पटना के अतिरिक्त अन्य स्थलों यथा माया सरोवर बोधगया, राजगीर, वैशाली में लाईट एवं साउण्ड शो एवं अन्य मनोरंजन शो की व्यवस्था; राज्य के अन्य शहर यथा बक्सर, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर में नियमित रूप से गंगा आरती का आयोजन प्रमुख है।

राज्य के पर्यटन प्रक्षेत्र के गुणात्मक विकास एवं आये पर्यटकों को राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation) के सहयोग से बौद्ध परिपथ के वृहत् विकास एवं प्रचार-प्रसार की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

राज्य के चिन्हित पर्यटन परिपथों में अवस्थित गैर नियोजित प्रक्षेत्रों के द्वारा संचालित मार्गीय सुविधाओं यथा, ढ़ावों, लाईन होटलों, मोटलों के उन्नयन एवं मानकीकरण हेतु प्रोत्साहन नीति 2012 का निरूपण किया गया है।

ग्रामीण पर्यटन के विकास के आवश्यकता के मद्देनजर चिहिन्त ग्रामों के परिदर्शन हेतु कारीगरों के कार्य स्थल परिसर में पर्यटकों के लिए मुलभूत सुविधाओं के विकास के निमित ग्रामीण पर्यटन विकास नीति, 2013 का निरूपण किया गया है।

पर्यटन विभाग को वर्ष 2014-15 में 154.48 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 146.05 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 8.43 करोड़ रूपये शामिल है ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

महादलित विकास योजनान्तर्गत कुल निर्धारित लक्ष्य 246391 (दो लाख छियालीस हजार तीन सौ इकान्वें) वासरहित महादलित परिवारों के विरूद्ध 212472 (दो लाख बारह हजार चार सौ बहत्तर) वासरहित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है जो लक्ष्य का 86.23 प्रतिशत है।

राज्य के कुल 45769 राजस्व ग्रामों में से 32616 (लगभग) राजस्व ग्रामों के भूमि सम्बन्धी डाटा इंट्री का कार्य पूरा कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं-रेलवे, थर्मल पावर, पावर ग्रीड, राज्य उच्च पथ, भारत-नेपाल सीमा पथ, सशस्त्र सीमा

बल (एस0एस0बी0) एवं अन्यान्य परियोजनाओं हेतु कुल 1852.1037 एकड़ रैयती भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई की गयी है ।

राज्य के कुल 534 अंचलों में से 516 अंचलों में कम्प्यूटर के माध्यम से खतियान के संधारण अद्यतीकरण तथा वितरण के उद्देश्य से हार्डवेयर की आपूर्ति, अधिष्ठापन, वायरिंग एवं नेटवर्किंग का कार्य किया गया है। भविष्य में ऑन लाईन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए डाटा ऑन लाइन करने की योजना है।

अंचल स्तर पर अद्यतन भू-अभिलेख (खतियान एवं मानचित्र) के संधारण हेतु आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया जा रहा है। वर्त्तमान में नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ एवं कटिहार जिला के 111 अंचलों में भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

बिहार के राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन बाह्यस्रोत के माध्यम से कराया जा रहा है। अब तक 46741 शीट का डिजिटाइजेशन कराया जा चुका है तथा शेष मानचित्रों का डिजिटाईजेशन मार्च, 2014 तक पूरा कर लिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी जिलों का राजस्व मानचित्र ऑनलाईन करने की योजना है, जिससे किसानों को अपने गृह जिला में ही किसी भी जिला का राजस्व मानचित्र सुविधानुसार उपलब्ध हो सकेगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वर्ष 2014-15 में 733.07 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 133.57 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 599.50 करोड़ रूपये शामिल है ।

वित्त विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित कार्यक्रम

मिशन मोड परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा जिससे राज्य के सम्पूर्ण वित्तीय कार्यों एवं संव्यवहारों को ऑन लाइन जो जायेंगे । यह एक समेकित

वित्तीय प्रबंधन प्रणाली होगी । इस सॉफ्टवेयर प्रणाली से राज्य के सभी विभाग एवं कार्यालयों के साथ महालेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, एजेंसी बैंक इत्यादि के कार्यालय एक दूसरे से जुड़ जायेंगे।

38 जिला कोषागार एवं टेकारी तथा रक्सौल कोषागार सहित कुल 40 कोषागार भवनों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें वर्ष 2013-14 में 11 कोषागारों का निर्माण पूरा किया जा चूका है तथा शेष वर्ष 2014-15 में पूर्ण होंगे। ।

20 नये कोषाागार स्थापित किये जाने हैं जिनमें वर्ष 2013-14 में 3 कोषागार कार्यरत हो चूके हैं और शेष 17 कोषागार वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित हैं।

गुलजारबाग मुद्रणालय का आधुनिकीकरण का कार्य किया जायेगा।

वित्त विभाग को वर्ष 2014-15 में 297.97 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 88 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 209.97 करोड़ रूपये शामिल है । पेंशन मद में 11655.26 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जो गैर योजना मद में व्यय होना है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

बिहार राज्य में भूभाग के वर्त्तमान 9.79 प्रतिशत वृक्षाच्छादन को बढ़ाकर वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने हेतु सरकार द्वारा 'हरियाली मिशन' नामक एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नांकित महत्वपूर्ण कार्य किए जायेंगे :-

पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे अरण्य भवन को पूरा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना में पटना तथा अन्य प्रमुख शहरों में वृक्षरोपण किया जायेगा।

जलछाजन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 40000 हेक्टेयर में कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।

नदी तट बंध, नहर तट बंध तथा पथ तट बंध में क्रमशः 10.90 लाख 20.80 लाख तथा 14.08 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है । इसके अतिरिक्त संस्थाओं में भी वृक्षारोपण किया जाएगा ।

कृषि वानिकी के अंतर्गत किसानों की भूमि पर पॉपलर के 77 लाख तथा अन्य प्रजाति के 50.5 लाख कुल 127.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है ।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (पॉपलर) के अंतर्गत जनवरी-फरवरी, 2014 में स्थापित पौधशालाओं से कुल 170 लाख पौधे किसानों द्वारा उगाने का लक्ष्य है । विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य पर इन पौधों का क्रय कर कृषि वानिकी तथा अन्य योजनाओं में उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा जनवरी-फरवरी, 2015 में अतिरिक्त 225 लाख पौधों की पौधशालाओं को प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

पर्यावरण एवं वन विभाग को वर्ष 2014-15 में 214.24 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 112.37 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 101.87 करोड़ रूपये शामिल है ।

विधि विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 का कार्यक्रम

जल्द हीं लखीसराय, बॉका शेखपुरा एवं किशनगंज में जिला न्यायाधीश एवं परिवार न्यायालय के स्थापना करने का प्रस्ताव है तथा उदाकिशुनगंज, बेनीपट्टी, कहलगांव में अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना की जायेगी।

पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं भागलपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनिमय, 1989 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के स्थापना हेतु आवश्यक पदों का सृजन किया जायेगा।

व्यवहार न्यायालय मोतिहारी में 16 कोर्ट भवन, भागलपुर 10 कोर्ट भवन, नवगछिया 4 कोर्ट भवन, गया में 10 कोर्ट भवन, आरा में 10 कोर्ट भवन, जमुई 16 कोर्ट भवन तथा शेखपुरा में 12 कोर्ट भवन पूर्ण होने पर है। इसके साथ-साथ व्यवहार न्यायालय शिवहर के विस्तारीकरण के कार्य भी पूर्ण होने पर है।

आगामी वित्तीय वर्ष तक मुंगेर, हिलसा, दानापुर, मसौढ़ी, भागलपुर, पूर्णियॉ, छपरा के कोर्ट भवन पूर्ण होने की संभावना है। इसके अलावे और भी कई जगह कोर्ट के विस्तारीकरण हेतु भवन निर्माण यथा बक्सर, बेतिया, बिक्रमगंज, बेगूसराय, सिवान, मधेपुरा निर्माण कार्य होने शुरू की जा रही है।

इसके अतिरिक्त पटना व्यवहार न्यायालय विस्तारीकरण हेतु G+8 भवन निर्माण की योजना है।

मझौल तथा बिक्रमगंज अनुमंडलीय न्यायालय की भी विस्तारीकरण की योजना है।

त्वरित न्याय के लिये राज्य में महिलाओं, वरीय नागरिक, निःशक्त नागरिकों एवं बालकों के प्रति अत्याचार को रोकने क लिए 68 फास्ट कोर्ट स्थापित करने की योजना है।

विधि विभाग को वर्ष 2014-15 में 659.33 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 12.68 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 646.65 करोड़ रूपये शामिल है ।

गन्ना उद्योग विभाग

मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 में गन्ना का आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से गन्ना के साथ अन्य फसलों के अन्तरवर्ती खेती की योजना कार्यान्वित करायी जा रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों को ग्रीष्मकालीन माहों में डीजल पम्प सेट से गन्ना की सिचाई हेतु डीजल अनुदान की योजना कार्यान्वित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में गन्ना किसानों को कुल 3 सिचाई हेतु डीजल क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 रू० प्रति लीटर अनुदान का प्रावधान किया गया है।

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज 2006 से प्रेरित होकर राज्य की 7 चीनी मिलों द्वारा क्षमता का विस्तारीकरण किया गया है। नई डिस्टीलरियों की स्थापना/स्थापित डिस्टीलरियों की क्षमता विस्तार, मिलों के साथ सह विद्युत इकाई स्थापित हुए है, जिस पर लगभग 587 करोड़ रूपये निवेश हुए है। इसके अतिरिक्त लौरिया एवं सुगौली में लगभग 649.72 करोड़ रूपयों की लागत से 2 ग्रीनफील्ड सुगर कॉम्पलेक्स स्थापित हुए है। घोषित प्रोत्साहन पैकेज में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तर्ज पर वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार एवं उसे और अधिक प्रभावकारी बनाते हुए गन्ना प्रोत्साहन पैकेज घोषित करने की कार्रवाई की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रोत्साहन पैकेज के तहत् कुल 40.00 करोड़ रू० का प्रस्ताव है।

बिहार राज्य चीनी निगम की बन्द पड़ी इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु के तहत लौरिया एवं सुगौली में नई मिले स्थापित हुई है। मोतीपुर एवं रैयाम में चीनी मिल स्थापित करने तथा बिहटा, सकरी एवं समस्तीपुर इकाई में अन्य उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ हैं।

निगम की शेष बची 8 चीनी मिलें (हथुआ एवं (डिस्टीलरी सहित) वारिसलीगंज, लोहट एवं बनमंखी) में टपंइसम इकाईयों के लिए निविदा आमंत्रित करने एवं शेष इकाईयों यथा गुरारू, गोरौल, सीवान, न्यू सावन, को आईडा (IDA) को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही हैं।

गन्ना कृषकों द्वारा लगाये गये गन्ने के शुद्ध सर्वेक्षण के निमित्त आधुनिक तकनीकी पर आधारित नये सर्वेक्षण नीति, 2013 की घोषणा की गई है। किसानों का समय पर गन्ने के आच्छादन, आपूर्ति हेतु कैलेण्डरिंग, आपूर्ति एवं उसके मूल्य भुगतान से संबंधित सूचनाओं की जानकारी देने हेतु बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BSMIS) को विकसित कर लागू किया गया हैं।

राज्य में चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में गन्ना कृषकों को समय पर ईख मूल्य भुगतान में सहयोग हेतु पेराई सत्र 2013-14 में चीनी मिलों द्वारा क्रय किए गए गन्ने पर 5.00 रू0/क्वींटल की दर से ईख मूल्य अनुदान उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसपर 35.00 करोड़ रू0 व्यय होना संभावित है।

गन्ना उद्योग विभाग को वर्ष 2014-15 में 118.63 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 100 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 18.63 करोड़ रूपये शामिल है ।

सामान्य प्रशासन विभाग

विभाग का वर्ष 2014-15 में 67.2853 करोड़ रू0 राज्य योजना उद्व्यय में निर्धारित किया गया है। इसी के अनुरूप वर्ष 2014-15 में उपबंध किया गया है।

सामाजिक समरसता के प्रवर्तक महान संत कबीर के जन्म दिवस पर वर्ष 2014 से कार्यपालक आदेश के तहत नये अवकाश के रूप में राजकीय अवकाशों की सूची में शामिल किया गया है।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों के तीनों सेवाओं के लिए तत्काल सेवा लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत दो दिनों में सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत कतिपय अधिसूचित सेवाओं को हटाने एवं नियत समय-सीमा को कम किया गया है।

राज्य प्रशिक्षिण नीति के तहत राज्य के सभी सेवा/संवर्ग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अनिवार्य प्रशिक्षित देने तथा उनके कौशल के विकास हेतु प्रमंडलीय प्रशिक्षित केन्द्र स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है । बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को राज्य से बाहर के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है तथा अनुमंडलाधिकारी, वरीय उप समाहर्त्ता एवं कार्यपालक दण्डाधिकारियों को (विधि व्यवस्था) विषय पर बिपार्ड द्वारा प्रशिक्षित ा दिया गया है। समूह 'घ' के 14000 से अधिक कर्मियों को बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी राज्य के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है।

सामान्य प्रशासन विभाग को वर्ष 2014-15 में 412.26 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में व्यय होनी शामिल है ।

<u>आपदा प्रबंधन विभाग</u>

विभाग द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है ।

सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बेल्ट्रोन के माध्यम से कुल 830 जी0पी0एस0 सेट उपलब्ध कराये गए हैं।

आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माणः- राज्य स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र अपने भवन में कार्यरत हो गया है। इसके अलावा आपातकालीन संचालन केन्द का 32 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 6 जिलों में निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है।

वेयरहाउस का निर्माणः- बाढ़ आपदा के समय प्रयोग में आने वाली सामग्रियों यथा टेन्ट, महाजाल आदि के सुरक्षित संधारण हेतु वेयर हाउस (गोदाम) का निर्माण 26 जिलों में पूर्ण हो गया है तथा 02 बाढ़ प्रवण जिलों में निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है।

भूकम्प जोन (V) अवस्थित एवं बाढ़ प्रवण 8 जिलों यथा सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं किशनगंज जिले में 10-10 मास्टर ट्रेनरों को बाढ़ एवं भूकम्प दोनों के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 10-10 मास्टर ट्रेनरों को (सीतामढ़ी को छोडकर) भूकम्प राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है ।

राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) का गठनः- राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस फोर्स (NDRF) के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) का गठन किया जा चुका है। SDRF के आवासन के लिए 25 एकड़ जमीन बिहटा में अधिगृहित की गई है। राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स के लिए चयनित जवानों को एन0डी0आर0एफ0 के बिहटा कैम्प में परीक्षण दिया जा रहा हैं। 520 कर्मियों को बहाल कर लिया गया है, SDRF मुख्यालय, बिहटा में SDRF के लिए पोटाकेबिन का निर्माण कर आवासन एवं कार्यालय आदि की व्यवस्था की गई है ।

भूकंपरोधी निर्माण कार्यो हेतु अभियंताओं/वास्तुविदों/भवननिर्माताओं एवं राज्य मिस्त्रियों का प्रशिक्षण- राज्य के सभी जिले भूकंप जोन में आते है अतएव सभी जिलों में भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करने हेतु अभियंताओं, वास्तुविदों, भवन निर्माताओं एवं राज्य मिस्त्रियों का बिपार्ड के माध्यम से प्रशिक्षण की बहुआयामी

योजना प्रारंभ की गई है। अबतक 116 अभियंताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

QMRT (Quick Medicial Response Teams) –राज्य के सभी जिलों में Multi Hazard Disaster में बचाव एवं राहत कार्य हेतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (AIIMS) के सहयोग से प्रति जिले से तीन स्वास्थ्य विभाग एवं दो पुलिस विभाग के कुल 167 कर्मियों को QMRT (Quick Medicial Response Teams) में प्रशिक्षित किया गया है।

माह जून में उत्तराखंड की त्रासदी के दौरान बिहार के कई तीर्थ यात्रियों की मृत्यु के साथ-साथ कई तीर्थ यात्री लापता हो गये। उत्तराखंड में फसे लोगों के लिए बिहार लाने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया में खाना एवं वाहन की विशेष व्यवस्था की गई। मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था की गई है। कुल 32 लापता लोगों के अनुग्रह अनुदान प्रति लापता व्यक्ति 3 लाख की दर से एवं मृत्यु प्रमाणपत्र उत्तराखंड से प्राप्त कर लिए गए है और उनका लापता लोगों के निकट आश्रितों को दिया जा रहा है।

इस वर्ष अनियमित वर्षा एवं अल्प वर्षा के कारण राज्य के 38 जिलों में से 33 जिलो को सूखाड़ग्रस्त जिला घोषित किया गया। अधिसूचित जिलों में सुखाड़ से निपटने हेतु राज्य आपदा रिस्पांस निधि (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस निधि (NDRF) से दी जानेवाली सहायता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं । अधिसूचित जिलों में किसानों से सहकारिता ऋण, राजस्व लगान एवं सेस पटवन शुल्क, विद्युत शुल्क जो सीधे कृषि से संबंधित है की वसूली वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए स्थगित रहेगी ।

आपदा प्रबंधन विभाग को वर्ष 2014-15 में 911.13 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 49.47 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 861.66 करोड़ रूपये शामिल है । प्रस्तावित गैर योजना मद की

राशि में 406.57 करोड़ रूपये आपदा राहत निधि कोष में हस्तांतरित की जायेगी जिसमें 304.93 करोड़ रूपये केन्द्र से प्राप्त राशि है और 101.64 करोड़ रूपये राज्य का हिस्सा है ।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की जनता की शिकायतों की सुनवाई मुख्य मंत्री द्वारा प्रत्येक सोमवार को की जाती है एवं प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु सरकार के सभी विभागों/जिला मुख्यालय से लेकर अनुमण्डल/प्रखंड एवं थाना स्तर तक जनशिकायत कोषांगों का गठन किया गया है। निराकरण के प्रक्रियात्मक विलम्ब को कम से कम करने हेतु नवीन सूचना प्रावैद्यिकी को उपयोग में लाते हुए राज्य मुख्यालय से प्रखण्ड स्तर तक के सभी जन शिकायत कोषांगों को जोड़ने की योजना है।

गया हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को वर्ष 2014-15 में 151.04 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 37.23 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 113.81 करोड़ रूपये शामिल है ।

परिवहन विभाग

वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभाग द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी वाहनों में उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट (High Security Registration Plate) लगाने का प्रावधान किया गया। दिसम्बर, 2013 तक कुल दो लाख उच्च सुरक्षायुक्त निबंधन प्लेट लगाये जा चुके है।

अंतर्देशीय जलयानों के निबंधन एवं सर्वेक्षण आदि के लिए बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2013 को लागू किया गया है।

राज्य के छः अंतर राज्यीय प्रवेश मार्गो पर 6 समेकित जाँच चौकियाँ चालू हो गई हैं।

बिहार राज्य अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गों पर अवस्थित समेकित जाँच-चौकियों और अन्य चौकियों पर कम्प्यूटराइज्ड वे-ब्रीज (धर्मकांटा) प्रत्येक क्रमशः सौ टन वजन क्षमता का अधिष्ठापन अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये जाने का प्रस्ताव है।

वाहन मालिकों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा व्यवसायिक वाहनों के करों का भुगतान ई-पेमेंट (E-Payment) के माध्यम से शुरू किया गया है। वर्तमान में यह सुविधा राज्य के 11 जिलों यथा, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, नवादा, भोजपुर, नालंदा, छपरा, कटिहार एवं समस्तीपुर में दी जा चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष में अन्य जिलों में भी यह योजना लागू करने का प्रस्ताव है।

नागरिकों की सुविधा हेतु राज्य योजना के अन्तर्गत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जिला परिवहन कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी तक मुजफ्फरपुर, खगड़िया, एवं समस्तीपुर जिलों में नये जिला परिवहन कार्यालय भवनों का उदघाटन हो चुका है। अन्य जिलों में भवनों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए परिवहन विभाग द्वारा वाहन कर में महिलाओं को छूट दी गई है। यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब महिला के नाम पर निबंधित है और उसका परिचालन स्वयं वह महिला या अन्य महिला जिसके पास व्यवसायिक अनुज्ञप्ति है, द्वारा किया जाता है; तो उसके लिए वाहन कर में शत प्रतिशत की छूट दी गई है।

निःशक्तजनों के लिए उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों के निबंधन पर लगनेवाले वाहन कर में पूर्ण छूट दी गई है।

औरंगाबाद जिले में व्यावसायिक चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु मारूति सुजकी लि0 से पी0 पी0 पी0 मोड के अंतर्गत करार करते हुए आधारभूत संरचना प्राधिकार के माध्यम से संस्थान के भवन का निर्माण 19.90 करोड रू0 की लागत से कार्य कराया जा रहा है। इस निमित 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया गया है तथा कार्य प्रगति पर है। इस भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2015 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम के माध्यम से परिवहन निगम की भूमि पर अवस्थित बस स्टैंड के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य कराने की योजना है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में लोक निजी भागीदारी के आधार पर बसों का परिचालन आरंभ किया गया है। वर्तमान में कुल 410 बसें लोक-निजी भागीदारी के तहत परिचालित हो रही हैं, जिनमें 12 वोल्वो बसें भी शामिल हैं। निगम की अपनी कुल 140 बसों का परिचालन किया जा रहा है।

परिवहन विभाग को वर्ष 2014-15 में 55 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 9 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 46 करोड़ रूपये शामिल है ।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में पटना जिला सूचना भवन का निर्माण कार्य सम्पन्न कराना है।

पत्रकार बीमा योजना के तहत 5 लाख रू0 बीमा कवर की योजना शुरू की गई है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को वर्ष 2014-15 में 96.26 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 9.94 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 86.32 करोड़ रूपये शामिल है ।

वाणिज्य कर विभाग

प्रांतीय संव्यवहार के लिए प्रयुक्त होनेवाले रोड परमिट ऑन लाईन ''सुविधा'' की राशि 50 हजार रूपये से बढ़ाकर 75 हजार रूपये की गई है एवं वाणिज्य-कर विभाग द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक इनभाइसिंग व्यवस्था को अपनाने वाले व्यवसायियों के मामले में उक्त सीमा एक लाख रूपये की गई है।

वैट प्रतिपूर्त्ति को ऑन लाईन करने की दिशा में साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से उद्योग विभाग से सीधे व्यवसायी के खाते में ऑन लाईन राशि को अन्तरित किया जा सकेगा।

वाणिज्यकर विभाग को वर्ष 2014-15 में 113.76 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में व्यय होना है ।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

वित्तीय वर्ष 2014-15 के भावी कार्यक्रम

भूमि का खेसरावार वर्गीकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य की उपलब्धि हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट में भू-स्वामी द्वारा डेवलपर/प्रमोटर को हस्तान्तरित की गई डेवलपर के हिस्से की भूमि पर अन्य राज्यों की तरह विक्रय-पत्र की दर पर मुद्रांक वसूलने हेतु अनुसूची–IA की मद सं0-5 (एकरारनामा) में संशोधन की प्रक्रिया की जा रही है। इससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

26 नवम्बर, 2013 को मद्य निषेध दिवस के अवसर पर घोषणा की गयी है कि जिन जीविका के समूहों के ग्राम संगठनों द्वारा अपने गांव को पूर्णतः शराब मुक्त कर लिया जाता है उन्हें 1,00,000 रू0 का पुरस्कार दिया जायेगा।

दिनांक 01.04.2014 से देशी शराब की बोतल बंदी का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पेट बोतल में देशी शराब की बिक्री होगी। पेट बोतल से अवैध शराब की बिक्री पर नियंत्रण हो सकेगा।

मद्य निषेध के पहलू को उजागर करने हेतु शराब की सभी बोतलों पर कानूनी चेतावनी ''मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है'' को अंकित करने के प्रावधान का अनुपालन पूर्णतः कराया जा रहा है।

निबंधन उत्पाद विभाग को वर्ष 2014-15 में 144.98 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में व्यय होना है ।

खान एवं भूतत्व विभाग

राज्य के खनिज संसाधनों के बेहतर विकास एवं उपयोग के लिए बिहार राज्य खनन निगम का गठन किया गया है।

बिहार राज्य के अन्तर्गत बालू (लघु खनिज) के उत्खनन हेतु माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में नई बालू नीति का निर्धारण किया गया है।

ओ0एन0जी0सी0 एवं टाटा-पेट्रोडायन द्वारा बेतिया बेसिन में हाईड्रोकार्बन की खोज का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। सर्वेक्षण एवं आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

खान एवं भूतत्व विभाग को वर्ष 2014-15 में 20.23 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें योजना मद में 1 करोड़ रूपये एवं गैर योजना मद में 19.23 करोड़ रूपये शामिल है ।

निर्वाचन विभाग

वर्तमान में फोटो निर्वाचक सूची में कुल निर्वाचकों की संख्या 6,21,08,447 है। निर्वाचक सूची में छायाचित्रों का आच्छादन लगभग 99.95 प्रतिशत है तथा कुल ईपिकधारियों की संख्या 5,62,69,336 (90.60%) है।

आम जनता के सुझाव एवं शिकायत हेतु राज्य स्तर पर कॉल सेन्टर की स्थापना मुख्य निर्वाचन पदधिकारी, बिहार के कार्यालय में की गयी है। कोई भी व्यक्ति कॉल सेन्टर के टॉल-फ्री नं0 1950 पर डायल कर अपना सुझाव एवं शिकायत दर्ज करा सकता है।

नागरिकों को Systematic Voters Education and Electoral Participation (SVEEP) के माध्यम से जागरूक बनाया जा रहा है तथा निर्वाचक सूची में पंजीकरण तथा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 का भावी कार्यक्रम

72.82 लाख रू0 की लागत पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इ.भी. एम. गोदाम का निर्माण किया जाना है। इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार का 50:50 का अंशदान है।

निर्वाचन विभाग को वर्ष 2014-15 में 292.89 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में व्यय होना है ।

निगरानी विभाग

राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ 'Zero Tolerance' नीति अपनाई गई है और इसे निगरानी विभाग द्वारा दृढ़तापूर्वक सतत् लागू किया जा रहा है। लोक सेवकों के द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के अधिहरण (Confiscation) हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 5, 2010) अन्तर्गत राज्य के विशेष न्यायालयों में अभीतक 51 मामले दर्ज हैं जिसमें 42.48 करोड़ की सम्पत्ति निहित है। अबतक कुल चार लोक सेवकों की सम्पत्ति राजसात् की गई है।

भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित विचारण/निष्पादन हेतु निगरानी न्यायालयों को सी०बी०आई० न्यायालयों के तर्ज पर केवल निगरानी मामलों के विचारण/निस्तारण करने हेतु निगरानी विभाग के लिए Exclusive Court बनाने की कार्रवाई की जा रही है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान की ओर सतत् ढंग से प्रयुक्त हेतु ''बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली, 2012'' अधिसूचित की गयी है। इसके तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हेतु एक अलग Cadre का निर्माण, जिनमें सीधी नियुक्ति निगरानी विभाग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जानी है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के बाद बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी एवं इसके अनुषंगी कम्पनियाँ गठित होने के फलस्वरूप विद्युत पर्षद कोषांग निगरानी विभाग को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में सभी पदों के साथ समाहित किया गया है जिससे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सशक्त किया जा सकेगा।

निगरानी विभाग को वर्ष 2014-15 में 31.07 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में व्यय होना है ।

संसदीय कार्य विभाग

संसदीय कार्य विभाग को वर्ष 2014-15 में 1.61 करोड़ रूपये एवं विधान मंडल को वर्ष 2014-15 में 113.90 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो गैर योजना मद में व्यय होना शामिल है ।

समेकित निधि में भारित राशि- बजट में 10743.08 करोड़ रूपये भारित मद में व्यय होनी प्रस्तावित है जिसमें मुख्यतः सूद मद में 6581.46 करोड़ रूपये, लोक ऋण की मूलधन वापसी में 3562.90 करोड़ रूपये, निक्षेप निधि में 430

करोड़ रूपये, माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 127.02 करोड़ रूपये, लोक सेवा आयोग के लिए 15.42 करोड़ रूपये एवं राज्यपाल सचिवालय हेतु 10 करोड़ रूपये हैं।

अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि :- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके और राशि को अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस मद में मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत कुल 8262.96 करोड़ रूपये की राशि प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 499.56 करोड़ रूपये प्रावधानित की गई है जो कि मुख्य शीर्ष 2225 एवं अन्य मुख्य शीर्षों के अधीन लघु शीर्ष 796 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पूर्व में सरकारी की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट अनुमानों तथा अगले वित्तीय वर्ष 2014-2015 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा।

वर्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 101939.46 करोड़ रुपये है । वित्तीय वर्ष 2013-14 का पुनरीक्षित अनुमान 78601.62 करोड़ रुपये है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में 23337.84 करोड़ रूपये (29.69 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अधिक प्राप्त होगा ।

वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियाँ 12315.01 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में 14743.31 करोड़ रूपये प्राप्त होना संभावित है, जो वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 2428. 30 करोड़ रूपये अधिक होगा । पूंजीगत प्राप्ति में ऋण की राशि भी सम्मिलित रहती है ।

वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में राजस्व व्यय 79293.67 करोड़ रूपये आंकी गई थी । वर्ष 2014-15 में राजस्व व्यय 91765.43 करोड़ रूपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12471.76 करोड़ रूपये अधिक है ।

वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 24191. 43 करोड़ रुपये आंका गया है । वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 25120.74 करोड़ रूपये है । वर्ष 2014-15 में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) पिछले वर्ष की तुलना में 929.31 करोड़ रूपये अधिक है ।

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2013-14 का पुनरीक्षित बजट अनुमान 103485.10 करोड़ रूपये का है । वर्ष 2014-15 में 116886.16 करोड़ रूपये का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय होने का अनुमान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13401.06 करोड़ रूपये अधिक है । पुनरीक्षित अनुमान में जो राशि प्रदर्शित हो रही है उसमें वास्तविक व्यय में परिवर्त्तन होगा क्योंकि राज्य योजना का आकार 34000 करोड़ रूपये का है । पुनरीक्षित अनुमान में 43285.00 करोड़ रूपये अनुपूरक गणना में राशि सम्मिलित होने के कारण प्रदर्शित है । राज्य योजना व्यय 34000 करोड़ रूपये के अधिसीमा तक ही किया जाना है । आयोजना एवं आयोजना भिन्न मद में वर्ष के अन्त में प्रत्यर्पण होते हैं जिसे घटाने से पुनरीक्षित अनुमान में उल्लेखित राशि से कम व्यय रहेगा ।

वर्ष 2014-15 में राज्य की वार्षिक योजना 57392.44 करोड़ रूपये की है, जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 34000 करोड़ रूपये से 23392.44 करोड़ रूपये अधिक है । राज्य योजना के कुल बजट अनुमान में अत्यधिक अन्तर होने का मुख्य कारण वर्ष 2014-15 से केन्द्र प्रायोजित योजना की केन्द्रांश राशि राज्य योजना के केन्द्रीय सहायता के रूप में मानी जा रही है । इसलिए इस मद में अप्रत्याशित वृद्धि है । पुराने तरीके से गणना की जाय तो राज्य योजना का आकार 40100 करोड़ रूपये का होगा जो गत वर्ष से 17.94 प्रतिशत अधिक है । केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत 262.68 करोड़ रूपये का व्यय होना प्रस्तावित है ।

आय-व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :-

क्र. सं.	विवरण	2013-14 का पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रूपये)	राशि शब्दों में	2014-15 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रूपये)	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5	6
1	कुल राजस्व प्राप्ति	78601.62	अठ्हत्तर हजार छः सौ एक करोड़ बासठ लाख रूपये	101939.46	एक लाख एक हजार नौ सौ उन्चालिस करोड़ छियालीस लाख रूपये
2	राज्य सरकार का राजस्व	23074.12	तेइस हजार चौहत्तर करोड़ बारह लाख रूपये	28744.63	अठाइस हजार सात सौ चवालीस करोड़ तिरसठ लाख रूपये
3	केन्द्र से प्राप्त राजस्व	55527.50	पचपन हजार पाँच सौ सताईस करोड़ पचास लाख रूपये	73194.83	तिहत्तर हजार एक सौ चौरानवे करोड़ तिरासी लाख रूपये
4	राजस्व व्यय	79293.67	उन्नासी हजार दो सौ तिरानवे करोड़ सड़सठ लाख रूपये	91765.43	एकानवे हजार सात सौ पैंसठ करोड़ तैंतालिस लाख रूपये
5	राजस्व बचत (+)/घाटा(-)	-692.05	छः सौ बानवे करोड़ पाँच लाख रूपये	10174.03	दस हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ तीन लाख रूपये
6	पूंजीगत व्यय (ऋण छोड़कर)	20927.00	बीस हजार नौ सौ सताईस करोड़ रूपये	21541.87	इक्कीस हजार पाँच सौ इक्तालीस करोड़ सतासी लाख रूपये
7	कुल व्यय (ऋण छोड़कर)	100220.67	एक लाख दो सौ बीस करोड़ सड़सठ लाख रूपये	113307.30	एक लाख तेरह हजार तीन सौ सात करोड़ तीस लाख रूपये
8	राजकोषीय बचत (+)/घाटा(-)	-8769.45	आठ हजार सात सौ उन्हत्तर करोड़ पैंतालीस लाख रूपये	-11367.84	ग्यारह हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ चौरासी लाख रूपये
9	ऋण अदायगी	3251.15	तीन हजार दो सौ एक्कावन करोड़ पंद्रह लाख रूपये	3562.89	तीन हजार पाँच सौ बासठ करोड़ नवासी लाख रूपये
10	कुल राशि की आवश्यकता	12020.60	बारह हजार बीस करोड़ साठ लाख रूपये	14930.73	चौदह हजार नौ सौ तीस करोड़ तिहत्तर लाख रूपये
11	ऋण उगाही	12301.73	बारह हजार तीन सौ एक करोड़ तिहत्तर लाख रूपये	14727.34	चौदह हजार सात सौ सताइस करोड़ चौंतिस लाख रूपये
12	लोक लेखा से प्राप्ति (निवल)	345.00	तीन सौ पैंतालीस करोड़ रूपये	394.80	तीन सौ चौरान्वे करोड़ अस्सी लाख रूपये

वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूंजीगत व्यय, लोक ऋण में भुगतान होने वाली राशि को छोड़कर 21541.87 करोड़ रूपये प्रस्तावित है, वित्तीय वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित अनुमान 20927.00 करोड़ रूपये का है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में 14727.34 करोड़ रूपये का ऋण लिया जाना होगा, जिसमें से 3562.89 करोड़ रूपये की राशि पुराने ऋणों की अदायगी के लिए व्यय होगी और शेष राशि पूंजीगत व्यय के वहन करने के लिए उपयोग की जायेगी ।

राजकोषीय घाटा :- राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक रहना है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में पुनरीक्षित अनुमान 103485.10 करोड़ रूपये का है। वर्ष 2013-14 का राज्य योजना का आकार 34000.00 करोड़ रूपये का है। विभागों को अतिरिक्त उद्व्यय देते हुए कुल प्रावधान 43452.49 करोड़ रूपये का किया गया है जिसमें कटौती कर संशोधित योजना उद्व्यय की सूचना विभागों को दी जायेगी, जिससे राज्य योजना मद में होने वाली बचत एवं गैर योजना मद, केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना में वर्ष के अन्त में बजट में प्रावधानित राशि का कुछ भाग प्रत्यर्पण होगा, उसे शामिल करने के उपरांत राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत की अधिसीमा के अन्तर्गत रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 308640 करोड़ रूपये का है जिसकी मान्यता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के द्वारा दी गयी है। इसपर 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष अनुमानित करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद 383709 करोड़ रूपये का अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट प्रावधान में जो राशि प्राप्ति एवं व्यय के लिए सम्मिलित की गयी है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा 11367.84

करोड़ रूपये का हो रहा है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता एवं असीम धैर्य का परिचय देते हुए सुना है इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2014-15 की वार्षिक वित्तीय विवरणी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। विधान मंडल का सत्र अल्प अवधि का है जिस कारण मांगवार विचार किया जाना संभव नहीं हो रहा है फलस्वरूप पूरे वर्ष का बजट पारित करना संभव नहीं है। अतः वर्ष 2014-15 के लिए 4 महीने का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

जय हिन्द !